जिला आपदा प्रबंधन योजना
जिला बांसवाड़ा
वर्ष – 2017

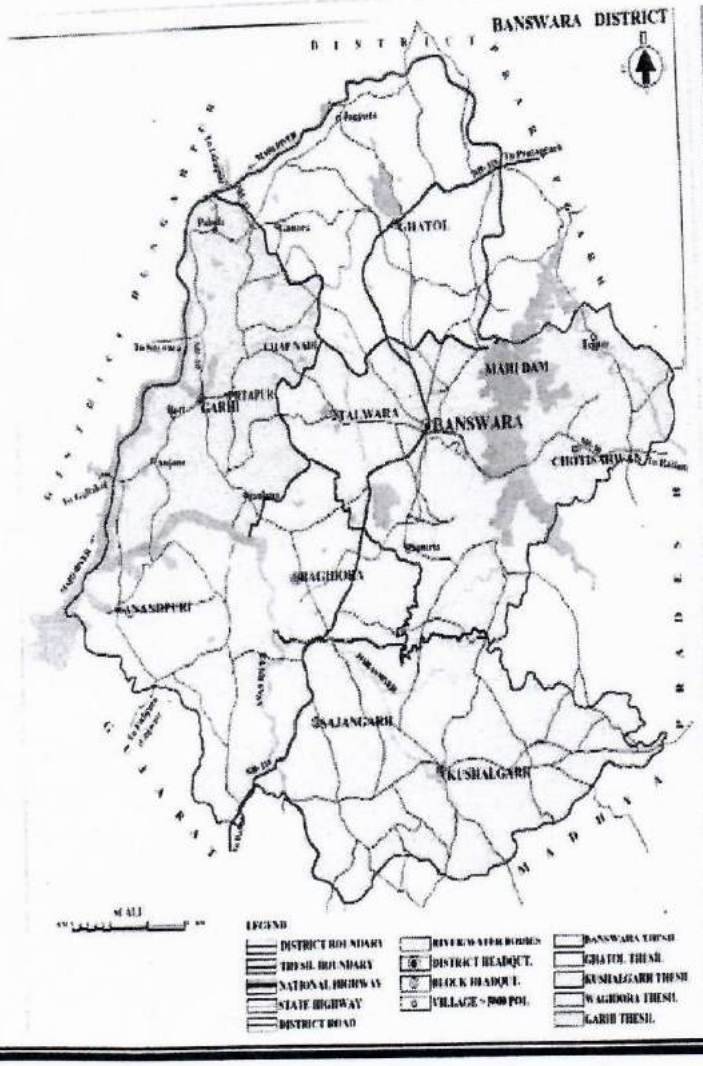

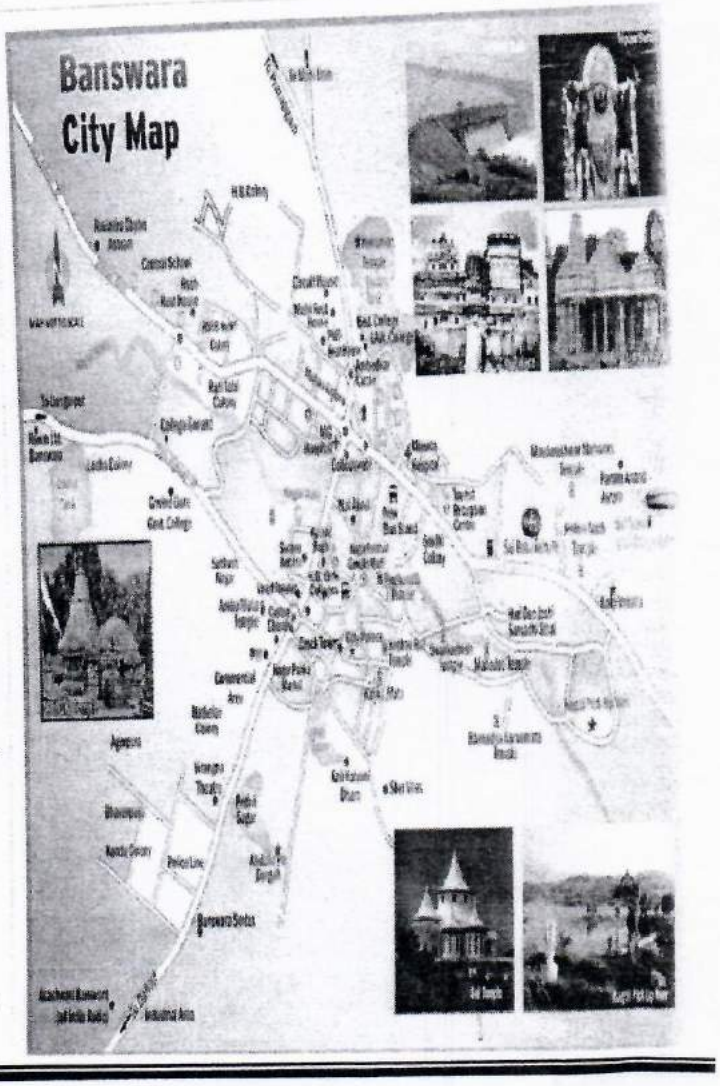

–:: अनुक्रमणिका ::–

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**प्रस्तावना**	
1.1	विकास और आपदा	1
1.2	बहुआपदा अनुक्रिया योजना	1
1.3	जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य	1
1.4	नीतिगत कथन	2
2.	**जिले की रुप रेखा**	
2.1	परिचय	3
2.2	भौगलिक स्थिति	3
2.3	प्रशासनिक संरचना	3
2.4	भौतिक स्वरुप	4
2.5	समाजिक एवं आर्थिक स्थिति	4
2.6	भूमि उपयोग	6
3	**जिले की आपदा व संवेदनशीलता का आंकलन**	
3.1	संभावित आपदाओं की पहचान	7
3.2	संवेदनशीलता	7
3.3	खतरा	7
4	**आपदा प्रबंधन हेतु सामान्य कार्य योजना**	
4.1	स्थाई व्यवस्था	8
4.2	आपदा के दौरान भुमिकाएँ	9
4.3	जिला प्रशासन	9
4.4	नियंत्रणकक्ष	9
4.5	पुलिस विभाग	9
4.6	नागरिक सुरक्षा बल, स्काऊट गाइड, एन.सी.सी.	10
4.7	चिकित्सा विभाग की भूमिका	10
4.8	जल संसाधन विभाग	10
5	**जिलें में सम्भावित आपदाएँ व कार्य योजना**	11 से 39

–:: अध्याय 1 ::–

प्रस्तावना

1.1 विकास और आपदाः–

इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक,वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षैत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदाएं उसके नियंत्रण में नही है। वरन् प्रोधोगिकी और ओधोगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए है। जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़,भूकम्प,सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पतियां भी नष्ट हो जाती है। 1999 में उडीसा में आये तुफान तथा 2001 में गुजरात का भूकम्प,वर्ष2015 में नेपाल का भूकम्प एवं चेन्नई की बाढ़ विनाश के ताजे उदाहरण है।

1.2 बहु–आपदा अनुक्रिया योजनाः–

आपदा प्रबंधन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प,बाढ़, चक्रवात, सूखा,महामारी, औधोगिक व रासायनिक दुर्घटनाएं,आगजनी सड़क दुर्घटनाओं रेल व वायुयान दुर्घटनाएं इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज हैं। राजस्थान और सूखा एक दुसरे के पर्यायवाची बन गये है। पिछले 65 वर्षो (1950–2015) में मात्र 13 वर्ष ही सूखा रहित रहे है। जबकि 51 वर्षो में राज्य के किसी न किसी जिलें का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य मे भीषणतम सूखा लगातार 1965–69,1979–82,1984–87,1991–92 व 1999–2002,में रहा। पिछले दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93,1995–96 व 1997–98,2003–05 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे है।राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरुप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी–कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत् 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से सभी प्रकार के लोगों तथा मवेशियों पर पडता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएं है जो विस्तृत क्षैत्र में जन,धन एवं पर्यावरण को प्रभावित करते है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिय योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढ़ाँचे की रुपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता हैं

1.3 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्यः–

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना बनाने के उद्देश्य निम्न हैः–

- जिले में आपदाओं के खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना।
- जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियन्त्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
- आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं को क्षैत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- जिलें में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रुपरेखा तैयार करना।
- आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
- राज्य सरकार की नीति गत रुपरेखा के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबंधन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यो का समन्वय सुचारु रुप से नही हो पाता किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते है उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्ण आपदा प्रबंधन योजना अति–आवश्यक है।

जिला आपदा प्रबंधन योजना के कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है:-

- प्रतिक्रिया कार्यो के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
- भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
- उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
- स्रोतों के प्रभावी प्रबंधन की रचना करना।
- सभी सहायता कार्यो का पारस्परिक समन्वय करना।
- राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

1.4 नीति गत कथन :-

गुजरात के भुज क्षैत्र में 26.1.2001 को आये विनाशकारी भूकम्प से हुई त्रासदी व जानमाल के भारी नुकसान से पूरे देश को जूझना पड़ा था। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 फरवरी,2001 को राजस्थान के मुख्य सचिव महोदय, की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय, ने पिछले सालों की तीन मुख्य आपदाओं भरतपुर के आयुध डिपो में आग, बीकानेर के लुणकरणसर में बाढ़, जयपुर में पेट्रोल डिपो में आग तथा पिछले तीन सालों के सूखे के अनुभवों के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढ़ंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाये ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सकें। आपदा प्रबंधन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों कर व्यापक उल्लेख होगा। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सकें।

DISTRICT AT A GLANCE

S.No	Particular	Year	Unit	Statistics
1	***Geographical features***			
(A)	Geographical Data			23.11 To 23.56
	i) Latitude			74.00 to 74.47
	ii) Longitude			453587 Hect.
	iii) Geographical Area			
(B)	Administrative Units		Nos.	8
	i) Sub divisions		Nos.	11
	ii) Tehsils		Nos.	0
	iii) Sub-Tehsil		Nos.	310
	iv) Patwar Circle		Nos.	11
	v) Panchayat Simitis		Nos.	1
	vi)Nagar parishad		Nos.	1
	vii) Nagar Palika		Nos.	346
	viii) Gram Panchayats		Nos.	1545
	xi) Revenue villages		Nos.	5
	x) Assembly Concitency	**TOTAL POPULATION - 1797485**		
2	**Population**			
(A)	Sex-wise		Nos.	907754
	i) Male		Nos.	889731
	ii) Female		Nos.	325283
	iii) Children		Nos.	8531
	iv) Specially Abled Person		Nos.	1372999
	v) Scheduled Tribal		Nos.	80091
	vi) Scheduled Caste		Nos.	1669864
(B)	Rural Population		Nos.	127621
(C)	Urban Population			
3	**Agriculture**			
	Land utilization			
	i) Total Area			453587 Hectare
	ii) Forest cover			91269 Hectare
	iii) Non Agriculture Land			62953 Hectare
	iv) Cultivable Barren land			26273 Hectare
	v) Irrigated Land			107380 Hectare
	vi) Non irrigated Land			120111 Hectare
	Annual Rainfall of the	2016 RainFall		854 MM
4	**Forest**			
	(i) Forest	Hectare		91269
5	**Livestock & Poultry**			
A.	**Cattle**			1129810
	i) Cows	Nos.		598453
	ii) Buffaloes	Nos.		283438
	iii) Camel	Nos.		558
B.	**Other livestock**			
	i) Goats	Nos.		504758
	ii) Pigs	Nos.		125

	iii) Dogs	Nos.		16831
	(iv) Railways			
	i) Length of rail line	Kms		0
	Helli Pad (If any)	Nos.		1
	(V) Roads			
	(a) National Highway	Kms	2	147km
	(b) State Highway	Kms	4	251km
	(c) Main District Highway	Kms	2	20km
	(d) Other district & Rural	Kms	1	25.50km
	(e) Rural road/ Agriculture	Kms	1189	3,435,.28km
	Marketing Board Roads		8	37.80km
	(VI) Communication			
	(a) Telephone connection	2016		13241
	(b) Post offices	Nos.		288
	(c) Satellite Phone	Nos.		58362
	(d)Telephone Exchange	Nos.		61
	(e) Density of Telephone	Nos./1000 person		5210
	(f) Density of Telephone	No. per KM.		345
	(g) Mobile Bsnl	No.		58362

–:: अध्याय 2 ::–
जिले की रुपरेखा

परिचयः–

2.1 परिचयात्मक विवरण व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राजस्थान के सुदूर दक्षिण भाग में स्थित बांसवाड़ा इस प्रदेश का सीमांत जिला है। बांसवाड़ा जिला वागड या वाग्वर के रुप में जाना जाता है। जिला पूर्व में एक रियासत थी, जो महाराजाओं द्वारा शासित था। ऐसा कहा जाता है कि एक भील शासक बांसिया ने उस पर शासन किया और बांसवाड़ा का नाम उसके नाम पर रखा गया। जगदीश सिंह ने बांसिया को हराया और मार डाला, जो रियासत के पहले महारावल बने। इसे बांस की वजह से भी बांसवाड़ा नाम दिया गया है, बांस जो जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाएं जाते थे। 1913 में कुछ भीलियों ने समाज सुधारक गोविन्दगुरु और पूंजा के मुख्यालय के तहत विद्रोह किया, जिसे नवम्बर,1913 में दबा दिया गया था। सैंकडो भीलों की हत्या मंगल पहाडी में हुई थीं, जहॉ वे शांतिपूर्ण बैठक कर रहे थे। इस घटना को मिनी जलियावाला बाग नरसंहार भी कहा जाता है। यह स्थान पवित्र हो गया है और इसे बेहतर रुप से मानगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। भारतीय संघ के रियासतों के विलय के साथ, बांसवाड़ा राज्य और कुशलगढ़ सन् 1949 में ग्रेट राजस्थान में विलय कर दिया और बांसवाड़ा को विलय करके एक अलग जिलें के रुप में बनाया गया।

बांसवाड़ा जिले का विवरणः–

2.2 भौगोलिक स्थिति :–

4535.87 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ बांसवाड़ा जिला राजस्थान राज्य के दक्षिण हिस्से में 23'55 एन और 74'45 ई में स्थित है। समुद्र तल से ऊचाई लगभग 302 मीटर है बांसवाड़ा के उत्तर में उदयपुर जिला और प्रतापगढ़ जिले बांसवाड़ा से अपनी सीमांए साझा करते है। दक्षिण में यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से लगा हुआ है। बांसवाड़ा के पूर्व में रतलाम मध्य प्रदेश और पश्चिम में डुंगरपुर जिले के सागवाड़ा और आसपुर तहसीले स्थित है। बांसवाड़ा के दक्षिण–पश्चिम में गुजरात के पंचमहल जिले के साथ अपनी सीमांए साझा करता है। जिले के मध्य में से बहती मुख्य नदी माही नदी है। जिसका जन्म मध्य प्रदेश के अमजेरा हिल्स में है। अनास, ईराव, चाम्प, कांगडी, और हेरान इसकी मुख्य सहायक नदियां है। बांसवाड़ा शहर से 16 किमी दुर पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है, जो वर्षा के पानी को एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। बांसवाडा जिले की गत 10 वर्षो की औसत वार्षिक वर्षा 854 एमएम है, और इस क्षैत्र की मुख्य फसले गेंहू ,मक्का,सोयाबिन और कपास है। इस क्षेत्र में पाएं जाने वाले प्रमुख खनिजों में डोलेमाईट,सोफ्स्टोन, ग्रेफाईट, चुना पत्थर और रॉक फॉस्फेट है।

2.3 प्रशासनिक संरचना :–

जिलें में एक जिला परिषद, 11 पंचायत समितियां, 346 ग्राम पंचायते एवं 2 शहरी निकाय है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

जिला परिषद का मुख्यालय बांसवाड़ा स्थित है, जिला परिषद में 31 सदस्य है।

उपखण्ड	तहसील	गांवों की संख्या		जनसंख्या
		आबाद	गैरआबाद	
8	11	1545	21	1797485

- **पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों को विवरण**

क्र.स.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्रामों की संख्या
1	बांसवाड़ा	36	179
2	तलवाड़ा	23	68
3	गढ़ी	40	127
4	अरथुना	23	85
5	आनंदपुरी	29	136

6	गांगडतलाई	24	97
7	बागीदौरा	25	77
8	सज्जनगढ़	33	192
9	कुशलगढ़	38	213
10	छोटी सरवन	19	110
11	घाटोल	56	255
	योग	**346**	**1539**
नोटः– 1 गांव नगर पालिका कुशलगढ़ एवं **5** गांव नगर परिषद बांसवाड़ा में स्थित है।			

- **शहरी स्थानीय निकाय विवरण**

क्र.स.	स्थानीय निकाय नगर पालिका/नगर परिषद	नगर परिषद/ नगर पालिका अध्यक्ष का नाम व मो.नंबर	आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नाम व मो.नंबर
1	नगर परिषद बांसवाड़ा	श्रीमती मंजुबाला पुरोहित 9462087002	श्री राजुलाल मीणा 8104007627
2	नगर पालिका कुशलगढ़	श्रीमती रेखा जोशी 8094339396	श्री राजुलाल मीणा 8104007627

- **विधान सभा क्षैत्रः–** बांसवाड़ा जिलें में कुल 5 विधान सभा क्षैत्र है। जो क्रमशः बांसवाड़ा,गढ़ी,बागीदौरा,कुशलगढ़ एवं घाटोल है।

2.4 भौतिक स्वरुप

- जिले का कुल क्षैत्रफल 4535.87 वर्ग किमी. है। इसकी कुल जनसंख्या 1797485 है,तथा घनत्व 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

2.5 सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

- **होली :–** होली आदिवासी (भील)समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लोग होली पर अपने पारंपरिक कपडे पहनते है और तलवारे और लाठी के साथ गैर नृत्य प्रदर्शन करते है जो इस क्षैत्र का एक ठेठ आदिवासी नृत्य है।
- **दिवासा (हरियाली अमावस्या) :–** दिवासा एक और त्यौहार है जिसे श्रावण के पहले पखवाडे के अन्तिम दिन अमावस्या को यहॉ के जनजातियों के साथ अन्य समुदायों के लोगो द्वारा मनाया जाता है। जिसमें बैल एवं जानवरों की पूजा की जाती है।
- **आमलिग्यारसः–** यह फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनाया जाता है। अविवाहित लडके लडकियाँ इस दिन उपवास करते है, और आंवले के पेड की पूजा करते है, आंवले की छोटी शाखाओं को घर लाते है। भील समुदाय के लोंग धनुष और तलवार से लैस होकर मेले में भाग लेते है। यह त्योहार भीमकुण्ड, मंगलेश्वर,संगमेश्वर आदि स्थानों पर आयोजित किया जाता है।
- **बेणेश्वर मेलाः–** माही,सोम और झाखम के संगम पर बेणेश्वर में सबसे बडा आदिवासी मेला लगता है। माही,सोम और झाखम यहॉ की पवित्र नदियां मानी जाती है। मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान के जनजाति आदिवासी समुदाय के लोग अपने निकटतम रिश्तेदारों की मृत्यु के उपरान्त उनकी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए बेणेश्वर में लाखों की संख्या में आते है। यहॉ पर अस्थियां विसर्जन के बाद बेणेश्वर धाम स्थित मन्दिरों में पूजा करते है।

गीतों की स्वर लहरियों के साथ नृत्य करते हुए मेले का आनंद लेते है। यह मेला माघ सुदी एकादशी से पंचमी तक आयोजित किया जाता है। मुख्य मेला पुर्णिमा के दिन आयोजित होता हैं।

- **घोटिया आम्बा मेला:–** यह मेला चैत्र शुक्ल पक्ष की अमावस्या को हर साल पारम्परिक रुप से आयोजित किया जाता है। इस मेले में पाण्डवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान विश्राम करने एवं यहॉ पर जलपान के दौरान उनके द्वारा लगाये गये आम्र वृक्ष की पुजा हेतु भील समुदाय एकत्रित होकर पाण्डवों की पूजा करते है। साथ ही मान्यता अनुसार पाण्डवों द्वारा लगाये गये पेड एव साल आदि की पूजा करते है।
- **मानगढ़ धाम:–** यह मेला माघशीष पुर्णिमा पर मनाया जाता है। मानगढ़ धाम जनजातियों के लोगो के लिए एक आस्था का केन्द्र है। इस दिन स्वतंत्रता सैनानी गोविन्दगुरु की पूजा की जाती है। राजस्थान,मध्यप्रदेश और गुजरात के लोगों द्वारा इस मेले में भाग लिया जाता है।

महोत्सव/मेला का नाम	स्थान	आयोजन की तिथि	अपेक्षित भीड (लगभग)
रण्छोडजी मेला	मोटागांव	फाल्गुन शुक्ल पक्ष ग्यारस	20 से 25 हजार
कलाजी का मेला	गोपीनाथ का गढ़ा/पडोली राठौड	नवरात्री का पहला रविवार	50 से 10 हजार
देव झुलनी एकादशी	बांसवाड़ा	भाद्रपद शुक्ल पक्ष ग्यारस	25 हजार
घोटिया आम्बा मेला	घोटिया आम्बा(बारीगामा)	चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या	2 लाख
अंदेश्वर मेला	अंदेश्वर (कुशलगढ़)	कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा	25 हजार
बेणेश्वर मेला	डुंगरपुर–बांसवाड़ा	माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा	4 से 5 लाख
रथ यात्रा मेला	बांसवाड़ा/घाटोल/बागीदौरा/तलवाडा/बडोदिया /कलिंजरा/नौगामा/आनंदपुरी/अरथुना/ऑजना /गढ़ी/डडुका/कुशलगढ़	भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से पंचमी तक	5 से 10 हजार
वनेश्वर महादेव	बांसवाड़ा	कार्तिक शुक्ल पक्ष चौथ	8 हजार
मानगढ़ धाम मेला	आनंदपुरी के पास	मार्गशिष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा	50 हजार
गोपेश्वर महादेव	घाटोल के पास	कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा	15 हजार
शिवरात्री मेला	मदारेश्वर,बांसवाड़ा	शिवरात्री	10 हजार
	मंगलेश्वर,कुशलगढ़	शिवरात्री	10 हजार
	भाटिया खमेरा	शिवरात्री	10 हजार
नवरात्री	त्रिपुरा सुंदरी(तलवाडा)	आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी	1 लाख
विठ्ठलदेव मेला	विठ्ठलदेव (गामडी)	पौष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा	20 हजार

- **प्रमुख फसलें**
  रबी :– गेंहू , चना, मक्का(रबी)
  खरीफ :– मक्का, सोयाबिन, उडद,तुअर एवं कपास

➤ प्रमुख उद्योग :–

SLNo	Name of the Industry/ Factory	Location with contact details	Type of Industry	Major Productions	No. of People Working	Any disaster management plan available with the Industry (both on site & Off site	Any other related information of Industry/Factory
1	Banswara Syntex LTD	Ind. Area Dahod Road Banswara	Large	1. Syanthetics Spun Yarn 2. Syanthetics Fabrics Weaving 2. Fabrics Processsing 4. Garment(pcs)at daman1	13018	Any disaster management plan available with the Industry on site	S.S. Sajal, President 02962-257676,679681
2	RSWM Ltd. Mayur Nagar	Vill-Lodha Banswara(Raj.)	Large	Mane Made Fabrics & Cotton Yarn	3335	Any disaster management plan available with the Industry on site	Prakash Maheswari, CEO, 02962-25431, 325
3	MS BMD(p) Ltd.	POB No. 35 Vill.- Mordi PS Ghatol, Banswara	Large	Iamminated Fab..& Unlaminated Fab. Air Tax Yarn	516	Any disaster management plan available with the Industry on site	S.n.Goyal President 02962-302400
4	RSWM Ltd.Fabric Div.	Mordi Banswara	Large	Febric Production Febricyob	1204	Any disaster management plan available with the Industry on site	Shri Chandan Mishara 9828109252
	RSWM Ltd.Fabric Div.	Mordi Banswara	Large	Proce.	1700	Any disaster management plan available with the Industry on site	Shri Chandan Mishara 9828109252
5	RSWM Ltd.(Denim Div.)	LNJ Nagar Mordi Banswara	Large	Denim Fabric	1383	Any disaster management plan available with the Industry on site	Shri Chandan Mishara 9828109252
6	Trinetra Cement Ltd.	P.O Vajavana Banswara	Large	Poc & Ppc	871	Any disaster management plan available with the Industry on site	Yatendra Shah, Vice President, 02962-301421
7	Star Light BlueCam. Lit.	Vill. Sundhani Banswara	Large	Redified Sprit Country Liquer Indionmade Foreyn Liquarbeer	12	Any disaster management plan available with the Industry on site	-

2.6 भूमि उपयोग

- कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 453587 हैक्टेयर

क्र.स.	भूमि का उपयोग	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1.	कृषि योग्य भूमि	343518
2.	गैर कृषि उपयोग में भूमि	62953
3.	बंजर कृषि योग्य भुमि	25055
4.	स्थाई व चारा गाह भूमि	11546
5.	बोया गया कुल रकबा	340409
6.	वन भूमि	91269

अध्याय 3
जिलें की आपदा व संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निरन्तर व कम जागरुकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षैत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते है। लेकिन गरीब, महिलाएं,बच्चे,बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते है, क्योकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिलें में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम,उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रो में बच्चों, बुजुर्गो, महिलाओं,निःशक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाले लोगों की पहचान कर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्विती की जा सकें।

3.1 संभावित आपदाओं की पहचान :

- जलवायु संबंधित – सूखा,बाढ़,चक्रवात,बादल फटना, गर्म व ठण्डी हवाएँ,तूफान,बिजली गिरना
- भूगर्भ संबंधित – भूकम्प, भू स्खलन,बाँध टुटना,खान में आग लगना,
- रासायनिक औद्योगिक व परमाणु संबंधित – रासायनिक, औद्योगिक दुर्घटना
- दुर्घटना संबंधित – आगजनी/बम विस्फोट/वायु/सडक/रेल दुर्घटना/भवन ढहना
- जैविक आपदाएँ – महामारी,टिड्डी दल, जानवरों की महामारी

3.2 संवेदशीलता : किसी भी स्थान की संवेदशीलता लोगों के जीवन स्तर निर्भर करती है :

भवन
आधारभुत ढाँचा
जीवनधारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग
परिवहन
दुर संचार
जन सुविधाएँ, आवश्यक जन सेवाएँ स्वास्थ्य, जलापुर्ति

3.3 खतरा :

भौतिक, समाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर सरंचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।

खतरा + विपदा :– संवेदनशीलता

अध्याय 4
आपदा प्रबंधन हेतु सामान्य कार्य योजना

प्रत्येक आपदा के प्रबंधन हेतु जिला कलक्टर उतरदायी होगा। इसके लिए जिला कलक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है, तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का निर्देश दे सकता है। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर अथवा सहायक जिला कलक्टर जिला आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.1 स्थायी व्यवस्था:–

जिला कलक्टर जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया हुआ है। जिसमें निम्न सदस्य है:–

क्र.स.		
1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)	सदस्य
5.	अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	सदस्य
7.	जिला पशुपालन अधिकारी,	सदस्य
8.	अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा0 अभि0 विभाग	सदस्य
9.	अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग	सदस्य
10.	अधिशाषी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण नि0लि0	सदस्य
11.	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक	सदस्य
12.	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
13.	जन सम्पर्क अधिकारी,	सदस्य
14.	जिला रसद अधिकारी,	सदस्य
15.	आयुक्त नगर परिषद	सदस्य

4.2 आपदा के दौरान कलक्टर की भूमिका:–

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने के हेतु सचेत करना तथा उन्हे विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत आदि की जानकारी के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय स्थापित करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आकडें तैयार रखवाना।
- जिला कलक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवायेगा तथा प्रत्येक विभाग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करेगा तथा सूचना सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर को भेजेगा।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारीयों को नियुक्त करना तथा आदेश देना। इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज संभाल लेंगे।
- जिले में आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना जो कि 24 घण्टे कार्यरत होगा।

4.3 जिला प्रशासन:–

- आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
- रेलवे व यातायात विभाग से सांमजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय स्थापित करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षैत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यो के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रुपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत व जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउटंर बनाना।
- जरुरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

4.4 नियंत्रण कक्ष:–

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित होगा।
- नियंत्रण कक्ष में कुल छः व्यक्तियों की तीन पारी नियुक्ति हो(दो व्यक्ति प्रति पारी में)।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम,पता, व फोन नंबर होंगे।
- नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर आसान व याद रखने योग्य होने चाहिए। अगर हो सके तो तीन अंको (103) का नंबर दिया जा सकता है ताकि आम व्यक्ति सूचना आसानी से दे सके।

4.5 पुलिस विभाग:–

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सडक दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़ भूकम्प,आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- खोज,बचाव व प्रभावित स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी, स्काउट इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगो के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।

- आपदा ग्रस्त क्षैत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगो को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

4.6 नागरिक सुरक्षा बल,स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी:–

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हे आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढुंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगें।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

4.7 चिकित्सा विभाग की भुमिका:–

- विभाग में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पतालों में घायलों को भर्ती करने हेतु पर्याप्त जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसो की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाईल यूनिटो को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंको को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए सम्पर्क करना।
- मृतको का निस्तारण हेतु नगर पालिका/नगर परिषद की मदद लेना।

4.8 सिंचाई विभाग:–

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारीयों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षैत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगें (जैसे पम्पसेटो की व्यवस्था आदि करना)
- बाढ़ के पानी का शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यो के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना।
- कंकड पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।
- बांधो व तलाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

अध्याय 5
जिले में संभावित आपदाएँ व कार्य योजना

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है, जिसका प्रत्यक्ष संबध वर्षा से है, एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षैत्र में वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है तो नदियाँ असंतुलित हो कर उफान की अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इस विकट पर्यावर्णीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षैत्र की परिस्थिति पर भी पडता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है – विस्तृत स्थानीय भाग का लगातार कई दिनों तक जल मग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिये प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रिया कलाप भी कम उत्तरदायी नहीं है।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली मौते 20 प्रतिशत भारत में होती है। भारत के कुल क्षैत्रफल का 8 वां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टयर है।

बाढ़ के मुख्य कारण :–

1. अत्यधिक वर्षा
2. बांध का टूटना
3. पेड़ों की संख्या में कमी
4. उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ
5. बादल का फटना
6. भूकम्प

यद्यपि बांसवाड़ा जिला बाढ़ से अमूमन प्रभावित नही होता है, लेकिन पिछले 2 वर्षो में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। जिले में बहने वाली नदियों के किनारे व निचले स्तर पर बसावट बाढ़ ग्रस्त क्षैत्र का निर्धारण करते है।

बांसवाड़ा जिले में पिछले 10 वर्ष में वर्षा का औसत 947 एम.एम. रहा है। वर्षा अमूमन माह जून से सितम्बर माह तक होती है। कुल तालाव 538 उपयोगी है, तथा 153 अनुपयोगी है।

वर्ष 2016 में बाँसवाड़ा जिले में अतिवृष्टि तथा बाढ़ नियन्त्रण की दृष्टि से विभिन्न विभागों से सूचना प्राप्त करने तथा समन्वयन के आधार पर जिले के लिए तैयार की जाने वाली आकस्मिक योजना निम्नानुसार हैं :–

जिले के उपखण्ड एवं तहसीलो का विवरण:–

क्र.स.	नाम उपखण्ड	नाम तहसील	भू.अ. निरीक्षक वृत्तो की संख्या	पटवार मण्डलों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्राम	गैर आबाद
1	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	11	44	45	142	2
2		आंबापुरा	3	13	14	109	2
3	छोटी सरवन	छोटी सरवन	5	18	19	111	11
4	घाटोल	घाटोल	9	36	38	181	1
5		गनोडा	4	17	18	74	0
6	गढ़ी	गढ़ी	14	55	63	212	2
7	बागीदौरा	बागीदौरा	5	21	25	77	0
8		गांगड़तलाई	5	20	24	97	0
9	आनन्दपुरी	आनन्दपुरी	6	26	29	136	0
10	कुशलगढ़	कुशलगढ़	8	30	38	214	0
11	सज्जनगढ़	सज्जनगढ़	8	30	33	192	3
		योग	**78**	**310**	**346**	**1545**	**21**

महत्वपूर्ण उपयोगी सम्पर्क नंम्बरः–

1– स्टेट इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर

दूरभाष नंबरः– 0141–2227296, 2227885, 5110869, 2227603 टोल फ्री दूरभाष नंबर 1070

2– भारतीय मौसम विभाग

दूरभाष नंबरः– 0141–2173733, उप निदेशक(हाइड्रोलॉजी) फैक्स नंबर 0141–2793254, 27901947

नोडल एजेन्सी :–

जिले में बाढ़ नियन्त्रण के लिए अधीक्षण अभियन्ता, माही परियोजना, बाँसवाड़ा तथा अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे। अतिवृष्टि तथा बाढ़ नियन्त्रण एवं सहायता हेतु वाहन, नाव, वाटर पम्प, उपकरण, सामग्री इत्यादि उनके नियन्त्रण कक्ष में उपलब्ध रहेगी, जिसका आपात समय कार्य दल भी आवश्यकतानुसार उपयोग हेतु जिला स्तर पर गठित होकर कार्य करेगा।

जिला प्रभारी अधिकारी :– अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

ब्लॉक स्तरीय :– संबंधित उपखण्ड अधिकारी

क्र.स.	उपखण्ड अधिकारी	दूरभाष नम्बर	मोबाईल नम्बर
1	उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	02962-240795	8890463322
2	उपखण्ड अधिकारी छोटी सरवन	-	8890463322
3	उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा	02968-280705	9414500971
4	उपखण्ड अधिकारी आन्नदपुरी	-	9414500971
5	उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़	02965-275241	9982373669
6	उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़	-	7014606313
7	उपखण्ड अधिकारी घाटोल	02961-235871	9414724670
8	उपखण्ड अधिकारी गढ़ी	02963-220150	9414734868

वर्षाकाल में बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओ व वर्षाजन्य रोगों की रोकथाम करने के लिए निम्नानुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं :–

क्रमशः मण्डल वन अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बांसवाड़ा आरक्षित प्रभारी अधिकारी के रूप में रहेंगे। सम्बन्धित तहसीलदार/उपतहसीलदार एवं विकास अधिकारी सहायक प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्ष :– जिला प्रभारी अधिकारी :– अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

जिला स्तर पर बाढ़ नियन्त्रण विभिन्न संबंधित विभागों की ओर से सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं संप्रेषण हेतु नियन्त्रण कक्षों की स्थापना की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं।

क्र. सं.	विभाग	नियन्त्रण कक्ष स्थल	दूरभाष नम्बर	
			कार्यालय	निवास
1	कलेक्ट्रेट बांसवाड़ा	जिला कलक्टर कार्यालय, बांसवाड़ा	02962-240002 02962-242968 Toll Free 1077	240001
2	पुलिस विभाग	पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बांसवाड़ा	240003, 243742 Toll Free 100	-
3	माही परियोजना	अधीक्षण अभियन्ता, बांसवाड़ा	243031, 243032 242201	-
4	नगर परिषद बांसवाड़ा	आयुक्त नगर परिषद, बांसवाड़ा	243714, Toll Free 101	-
5	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि, बांसवाड़ा	251303 एम्बूलेन्स 108	7742120111 9414461916
6	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, म0गा0चि0, बांसवाड़ा	243040,242483	9460092485

7	जल संसाधन विभाग	अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बांसवाड़ा	243778	9414688186
8	सार्वजनिक निर्माण विभाग	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांसवाड़ा	242827, 242871	9413313437
9	पशुपालन विभाग	उप निदेशक, पशुपालन कार्यालय, बाँसवाड़ा	254086	9460092322
10	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण नि, लि. बांसवाड़ा	251270, 240700	9414004074
11	जन स्वा.अभि. विभाग	सहायक अभियन्ता, नगर उपखण्ड कार्यालय बांसवाड़ा	242531, 242480	243435 242473
12	मत्स्य विभाग	सहायक निदेशक एवं परियोजना प्रबंधक मत्स्य विभाग, बांसवाड़ा	255475, 243384	9460113303

1. ब्लॉक स्तरीय नियन्त्रण कक्ष :–

जिला स्तर के अतिरिक्त प्रत्येक तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय पर भी बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापित किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	ब्लॉक	नियन्त्रण कक्ष स्थल	कार्यालय दूरभाष नम्बर
1	तलवाड़ा	तहसील कार्यालय, बॉसवाड़ा	02962 - 242649
		पंचायत समिति, तलवाड़ा	02962 - 262034
2	गढ़ी	तहसील कार्यालय, गढ़ी	02963 - 220043
		पंचायत समिति, गढ़ी	02963 - 221044
3	घाटोल	तहसील कार्यालय, घाटोल	02961 - 235131
		पंचायत समिति, घाटोल	02961 - 235132
4	बागीदौरा	तहसील कार्यालय, बागीदौरा	02968 - 220026
		पंचायत समिति, बागीदौरा	02968 - 220028
5	कुशलगढ़	तहसील कार्यालय, कुशलगढ़	02965 - 275251
		पंचायत समिति, कुशलगढ़	02965 - 275265
6	छोटी सरवन	पंचायत समिति, छोटी सरवन	02962- 292292
7	आनन्दपुरी	पंचायत समिति, आनन्दपुरी	02698 - 237232
8	सज्जनगढ़	पंचायत समिति, सज्जनगढ़	02965 – 273249
9	गनोडा	तहसील कार्यालय, गनोडा	9829708394
10	आंबापुरा	तहसील कार्यालय, आंबापुरा	9414783791
11	गांगडतलाई	तहसील कार्यालय, गांगडतलाई	9460861332

2 अन्य महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर :–

क्र. सं.	विवरण	दूरभाष	
		कार्यालय	निवास
1.	जिला कलक्टर बॉसवाड़ा	240002, 242968	240001
2.	जिला कलक्टर डूंगरपुर	02964-231002 02964-231006	-
3.	जिला पुलिस अधीक्षक, बाँसवाड़ा	240003	-
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बॉसवाड़ा	240812 248360	-

5.	अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा	246200	9414521958
6.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बाँसवाड़ा	244400	9413924471
7.	पुलिस उप अधीक्षक, बांसवाड़ा	243743	9829070246
8.	पुलिस उप अधीक्षक, कुशलगढ़	275243	9460137812
9.	पुलिस उप अधीक्षक, घाटोल	235161	9414565939
10.	पुलिस उप अधीक्षक, बागीदौरा	-	9414616331
11.	उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा	02962-240795	8890463322
12.	उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़	02965-275241	9982373669
13.	उपखण्ड अधिकारी, घाटोल	02961-235871	9414724670
14.	उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी	02963-220150	9414734868
15.	उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा	02968-220705	9414500971
16.	उपखण्ड अधिकारी, छोटी सरवन	-	8890463322
17.	उपखण्ड अधिकारी, आनंदपुरी	-	9414500971
18.	उपखण्ड अधिकारी, सज्जनगढ़	-	7014606313
19.	तहसीलदार बांसवाड़ा	02962-242649	9414737107
20.	तहसीलदार गढ़ी	02963-220043	7357387395 9950864636
21.	तहसीलदार घाटोल	02961-235131	9414738002
22.	तहसीलदार गनोडा	-	8239914919
23.	तहसीलदार गांगडतलाई	-	9982334037
24.	तहसीलदार आंबापुरा	-	9414737107
25.	तहसीलदार बागीदौरा	02968-220026	9414500971
26.	तहसीलदार कुशलगढ़	02965-275251	7357304038
27.	तहसीलदार आनन्दपुरी	9610482979	9982334037
28.	तहसीलदार सज्जनगढ़	9414645854	7357304038
29.	तहसीलदार छोटी सरवन	0296-2292292	9414684050
30.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बांसवाड़ा	02962-240386	9414491833
31.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तलवाड़ा	02962-220034	7568487333
32.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति गढ़ी	02963-221044	9414349148
33.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति अरथुना	-	9828706431
34.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति गांगडतलाई	-	9928167978
35.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति घाटोल	02961-235132	9530301006
36.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति छोटी सरवन	02962-292324	9414491833
37.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति बागीदौरा	02968-220028	9928167978
38.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति आनन्दपुरी	02968237232	9828706431
39.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति सज्जनगढ़	02965-273249	9530301091
40.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुशलगढ़	02965-275265	9828207808
41.	जिला रसद अधिकारी, बाँसवाड़ा	242270	9602724166
42.	सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, बाँसवाड़ा	248278/ 248611	9414011969
43.	मत्स्य विभाग, बाँसवाड़ा	255475 & 243021	9460113303
44.	राजस संघ, बाँसवाड़ा	254268	9166556311
45.	बांसवाड़ा दुग्ध उत्पादन संघ, बांसवाड़ा	248368	9001793650

–: माही बजाज सागर परियोजना/माही मुख्य बांध सम्बन्धी व्यवस्थाऐं :–

माही मुख्य बाँध की व्यवस्थाएँ :–

अतिवृष्टि के कारण माही के गेट खोलने तथा बेक वाटर से अनेक ग्राम प्रभावित होते हैं, जिनका विवरण तहसील क्षेत्रवार आगे दिया जा रहा है। माही मुख्य बाँध पर स्थापित नियन्त्रण कक्ष (फोन नम्बर 02962–243031, 243032, 243147) प्रत्येक दो घण्टे के अन्तराल में समस्त वायरलेस स्टेशनों से सूचना प्राप्त करेंगा तथा विभाग के उच्चाधिकारियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचना देगा। माही बाँध का जलस्तर अधिक होने के पश्चात् गेट खोलने की स्थिति उत्पन्न होती है, जलस्तर की सूचना माही बाँध नियन्त्रण कक्ष द्वारा बाँध के जलस्तर की सूचना एवं केचमेट क्षेत्र में वर्षा की सूचना निरन्तर विभागीय अधिकारियों तथा जिला प्रशासन के साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्थानीय अधिकारियों को दी जावेगी।

ग्रामवासियों को सूचना :–

अतिवृष्टि की स्थिति में माही का पानी छोड़ने की सूचना प्रभावित ग्रामों में सायरन एवं ढ़ोल बजाकर ग्रामवासियों को दी जायेंगी।

सुरक्षा व्यवस्था :–

माही बाँध पर 24 घण्टे सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। पुलिस विभाग द्वारा भी सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जावेगी।

बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की स्थापना :–

बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की स्थापना अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय, माही परियोजना परिसर में की गई है। इसके नियन्त्रण अधिकारी श्री रमेशचन्द्र माथुर अधिशासी अभियन्ता वृत माही परियोजना, बाँसवाड़ा हैं। यह कक्ष दिनांक 15–6–2017 से 15–10–2017 तक कार्यरत रहेगा। यह कक्ष माही परियोजना क्षेत्र के सभी मुख्य स्थानों से वर्षा, बांधों के भराव नदियों के बहाव एवं बाढ़ सम्बन्धित आकड़े एकत्रित कर सम्बन्धित अधिकारीयों एवं जिला कलेक्टर, बाँसवाड़ा/ डूंगरपुर, उप निदेशक, जल विज्ञान, जल संसाधन विभाग, जयपुर तथा अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड, डूंगरपुर को उपलब्ध करायेगा। यह कक्ष अनवरत रूप से 24 घण्टे कार्यरत रहेगा। नियन्त्रण कक्ष का टेलिफोन नं॰ (02962) 243031 ,243032 तथा 243238 होगा।

वायरलेस स्टेशन की व्यवस्था :–

माही परियोजना संगठन द्वारा निम्न स्थानों पर वायरलेस स्टेशन की स्थापना की गई हैं। इनका रख–रखाव माही विभाग द्वारा किया जा रहा हैं।

क्र॰सं॰	वायरलेस स्टेशन		क्र॰सं॰	वायरलेस स्टेशन
1	बाजना पुल		2	माही बांध
3	गलियाकोट		4	लीलवानी
5	बाँसवाड़ा (परियोजना परिसर)		6	लोहारिया
7	कागदी पिक–अप वियर		8	सागवाड़ा
9	बागीदौरा		10	सुरवानिया तालाब
11	साबला (लसाड़ा पुल)		12	हारो तालाब
13	गढ़ी		14	बडोदिया

वर्षा मापक स्टेशन की व्यवस्था :–

माही परियोजना संगठन द्वारा निम्न स्थानों पर वर्षा मापक स्टेशन की स्थापना की गई हैं। इनका रख–रखाव माही संगठन द्वारा किया जा रहा हैं।

क्र.सं.	स्थान	क्र.सं.	स्थान	क्र.सं.	स्थान
1	बाजना	2	माही बांध	3	साबला
4	गलियाकोट	5	कगदी	6	बाँसवाड़ा

इनके द्वारा प्रसारित वितन्तु संदेश, प्रत्येक 2 घण्टे के अन्तराल पर बाढ़ नियन्त्रण कक्ष बाँसवाड़ा (माही) परियोजना परिसर में प्राप्त किये जावेंगे तथा आदेशानुसार कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी।

माही नदी में जल प्रवाह से प्रभावित ग्रामों में व्यवस्था :–

अतिवृष्टि के साथ माही बांध के गेट खोलने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, बांध खण्ड़ द्वारा सायरन बजाकर ग्रामवासियों को देंगे तथा निकटतम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे। पानी छोडने की अग्रिम सूचना बाढ़ नियन्त्रण कक्ष बाँसवाड़ा को देंगे। जिसे बाढ़ नियन्त्रण कक्ष ग्राम गोधरा (गुजरात) 0424–2266700 एवं अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड़, डूंगरपुर (फोन नम्बर 02964–232482) कार्यालय को देंगे। माही बाढ़ नियन्त्रण कक्ष से माही बांध के जल स्तर की सूचना एवं माही प्रोजेक्ट केचमेन्ट में बरसात की सूचना प्रतिदिन जिला नियन्त्रण कक्ष को भी दी जावेगी और अत्यधिक वर्षा की सूचना गोधरा (गुजरात) एवं डूंगरपुर को दी जाये। माही बांध के बैंक वाटर से तहसील बाँसवाड़ा के प्रभावित क्षेत्र की सूची संलग्न हैं। (परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।)

सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड़ प्रतापगढ़ अत्यधिक वर्षा की सूचना माही नियन्त्रण कक्ष को देगा। उनके कार्यालय एवं निवास का दूरभाष संख्या 01478–222683 हैं।

माही के अधीन जलाशय तथा तालाबों की सुरक्षा :–

माही कमाण्ड क्षेत्र में अवस्थित 68 तालाब जो सिंचाई खण्ड़ बाँसवाड़ा द्वारा माही परियोजना को स्थानान्तरित किये गये थे, में से 62 तालाब जो 300 हैक्टेयर तक की सिंचाई क्षमता वाले थे, राज्य सरकार के आदेशानुसार संबंधित पंचायत समितियों/पंचायतों को स्थानान्तरित (मय स्टॉफ) किये जा चुके है। अब परियोजना के अधिकार क्षेत्र में 6 तालाब, जिनकी सिंचाई क्षमता 300 हैक्टेयर से अधिक हैं शेष रहते हैं। प्रत्येक तालाब से संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह आदेश दिये हैं कि वे अपने क्षेत्र के सभी जलाशयों की सुरक्षा अतिवृष्टि के समय सुनिश्चित करें। इस कार्य के लिए प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता संभावित क्षतिग्रस्त होने वाले तालाबों के पास आवश्यकतानुसार खाली एवं रेत से भरी बोरीयां पर्याप्त मात्रा में एकत्रित करेंगे। गेती, फावड़े, तगारीयां एवं अन्य सामान (फ्लड मेमोरेन्डम के अनुसार) एवं रोशनी की व्यवस्था भी करें। संबंधित अधिशासी अभियन्ता अपने क्षेत्र के जलाशयों के जल स्तर की सूचना दैनिक बाढ़ नियन्त्रण कक्ष में निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित करेंगे।

लोहारिया तथा भीमपुर तालाब का विशेष ध्यान रखा जावेगा, क्योंकि अतिवृष्टि के समय अक्सर इनमें बाढ़ की सम्भावना बन जाती हैं।

वाहनों की व्यवस्था :–

आपातकाल में वाहनों की व्यवस्था प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता करेंगे। इस कार्य के लिए अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड़ पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता अपने वाहनों को चालू हालत में तैयार रखेंगे। वाहन चालकों को मुख्यालय पर उपलब्ध रहने हेतु पाबन्द किया जावें।

पम्पसेट्स, नावों एवं तैराकों की व्यवस्था :–

माही संगठन के पास नावें एवं तैराक उपलब्ध नहीं हैं। पम्पसेट्स महत्वपूर्ण स्थानों जैसे माही बांध की गैलरी, कागदी पिक–अप वियर, इंटेक इन्स्ट्रक्चर (पावर हाउस–प्रथम) गलियाकोट एवं अन्य स्थानों पर स्थापित हैं।

जल निकासी हेतु पम्प सैटों की व्यवस्था :–

प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता अपने अधीन पम्प सेट्स तैयार करके रखेंगे जिससे आवश्यकता पड़ने पर काम में लिए जा सकें। इसके अलावा उन व्यक्तियों की सूची भी तैयार रखेंगे जिनसे आवश्यकता पड़ने पर पम्प किराये पर लिए जा सकते हैं।?

मशीनों व वाहनों की व्यवस्था :–

माही संगठन में यान्त्रिक खण्ड़ के पास उपलब्ध मशीनों एवं वाहनों की सूची संलग्न हैं।

गलियाकोट की सुरक्षा व्यवस्था :–

जिला डूंगरपुर में गलियाकोट की सुरक्षा का विशेष महत्व हैं। गलियाकोट की सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा निम्न कार्यवाही की जा रही हैं :–

1. गलियाकोट में नदी का जलस्तर आर॰एल॰ 421 फीट होने पर अधिशासी अभियन्ता, भीखा भाई सागवाड़ा नहर, माही परियोजना, सागवाड़ा द्वारा तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर डूंगरपुर को सूचित किया जावेगा।
2. अधिशासी अभियन्ता, भीखा भाई सागवाड़ा नहर, खण्ड़ माही परियोजना, सागवाड़ा द्वारा खाली बोरियां एवं आवश्यक टी॰ एण्ड पी॰ (औजार) की व्यवस्था की जावेगी। आवश्यक पड़ने पर जन सहयोग से काम लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जावेगी।
3. नदी पर जल स्तर आर॰एल॰ 421 फीट होने पर अधिशासी अभियन्ता, भीखा भाई, सागवाड़ा नहर कैम्प लगाकर गलियाकोट में निवास करेंगे तथा प्रशासन का सहयोग करेंगे।
4. वायरलेस की व्यवस्था अक्टूबर के अन्त तक बनाई रखी जावेगी।
5. प्राकृतिक आपदा के समय अधिशासी अभियन्ता ढ़ोल पिटवाकर प्रभावित व्यक्तियों को सावधान करायेंगे तथा इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे।
6. बाढ़ के पानी के निकास के लिए कडाना बांध (गुजरात) के अधिकारीयों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जावेगा।
7. अधिशासी अभियन्ता, भीखा भाई सागवाड़ा नहर, नहर खण्ड़, माही परियोजना, सागवाड़ा गलियाकोट रिंग बांध के जल स्तर का रिकार्ड रखेंगे तथा जिला कलेक्टर एवं जिला प्रशासन डूंगरपुर से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेंगे। इनका फोन नं॰ कार्यालय 02966–232262 है।
8. गलियाकोट रिंग बांध को छोड़कर डूंगरपुर जिले में बाढ़ नियन्त्रण एवं सुरक्षा से संबंधित कार्य के लिए अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड़, डूंगरपुर जिम्मेदार होगें।

माही बजाज सागर परियोजना, बाँसवाड़ा (बाढ़ नियन्त्रण कक्ष)
महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बरों की सूची

क्र.सं.	पद एवं कार्यालय	कार्यालय	निवास	फैक्स/मो.
1	अधीक्षण अभियन्ता, माही परियोजना, बाँसवाड़ा	243031 243147	243209	2962-243238 9414159518
2	नोडल अधिकारी (बाढ़ नियन्त्रण) अधीक्षण अभियन्ता एवं त.स., निर्माण वृत माही परियोजना	243032	243032	02962-243238
3	अधिशासी अभियन्ता, माही बांध खण्ड़ बाँसवाड़ा	243031	02962- 243209	9414688334
4	अधिशासी अभियन्ता, भ.एवं दा.मु.न. खण्ड बाँसवाड़ा	243697	-	8946915770
5	अधिशासी अभियन्ता, वित. खण्ड बा.मु.न. गढ़ी	02963- 220377	-	9462684090
6	अधिशासी अभियन्ता, भीखा भाई सागवाड़ा नहर खण्ड़	02966- 250143	-	-
7	अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड बांसवाड़ा	243778	243777	9414012246
8	उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई भवन	2702480	2398538	-
9	निदेशक, बांध सुरक्षा एवं जल विज्ञान सिंचाई भवन जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर	2702428	2601635	-
10	अधीक्षण अभि. एवं त.स. (एस.एस.) सिंचाई जयपुर	2227020		-
11	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाँस.	242871	242870	9413313437
12	सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी बाँसवाड़ा	248278	243337	9414011969
13	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग प्रतापगढ़	01478- 222683	222683	-
	कडाना बांध (गुजरात) से संबंधित दूरभाष नम्बर			-
1	मुख्य अभियन्ता, कडाना (गाँधीनगर)	079- 23251666		-

(अ) स्थाई वायरलेस स्टेशन :–

क्र.सं.	वायरलेस स्टेशन का नाम	खण्ड़ का नाम
1	बाँसवाड़ा	भवन एवं दा.मु.न. खण्ड़, बाँसवाड़ा
2	बाजना पुल	बांध खण्ड़
3	माही बांध	बांध खण्ड़
4	कागदी पिक–अप वियर	बांध खण्ड़
5	सुरवानिया बांध	वितरण खण्ड़ बा.मु.न. गढ़ी
6	लीलवानी (पॉवर हाउस द्वितीय)	वितरण खण्ड़ बा.मु.न. गढ़ी
7	बागीदौरा	वितरण खण्ड़ बा.मु.न. गढ़ी
8	गढ़ी	वितरण खण्ड़ बा.मु.न. गढ़ी
9	गलियाकोट	भी. भा. सा. नहर खण्ड़ सागवाड़ा
10	साबला (लसाड़ा पुल)	भवन एवं दा.मु.न. खण्ड़, बाँसवाड़ा
11	सागवाड़ा	भी. भा. सा. नहर खण्ड़ सागवाड़ा
12	हारो बांध	भवन एवं दा.मु.न. खण्ड़, बाँसवाड़ा
13	भीमपुर	भवन एवं दा.मु.न. खण्ड़, बाँसवाड़ा

14	बडोदिया	वितरण खण्ड़ बा.मु.न. गढ़ी

(ब) मोबाईल वायरलेस सेट्स :–

क्र.सं.	वाहन	खण्ड़ का नाम
1	कार अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण वृत्त	यांत्रिक खण्ड़
2	जीप अधिशासी अभियन्ता, दामुन खण्ड	भवन एवं दा.मु.न. खण्ड
3	जीप अधिशासी अभियन्ता, बांध खण्ड़	बांध खण्ड़

तहसील क्षेत्र जिला बाँसवाड़ा

माही बांध के बैंक वाटर से प्रभावित क्षेत्र

बाँसवाड़ा जिले में औसत वर्षा 947 एम.एम. हैं तथा यह जून से सितम्बर माह तक होती हैं। कुल तालाब 548 उपयोगी हैं तथा 153 अनुपयोगी हैं।

निचले क्षेत्र में बसावट गांव व अधिवास जो बाढ़ की स्थिति से प्रभावित होते हैं:–

क्र.सं.	तहसील	ग्राम
1	बाँसवाड़ा	बोरखेड़ा, चीब, आमलीखेड़ा, कटीयोर, कांकनसेजा, चाचाकोटा, भीमगढ़, आलापृथ्वीगढ़, कुण्डलाकला, कुण्डलाखुर्द, बोरतलाब, बरोड़ा,
2	आंबापुरा	केसरपुरा, पागड़ी रघुनाथपुरा, सुरजीपाड़ा, खडियादेव, पाड़ला, लोधाजागीर, रतनपुरा, अमरपुरा गामदा, रंगीपीपली, फतेहपुरा, बड़लियाखुर्द, बोरीया, नाथपुराकला, लालापाड़ा खेडीकचरिया, जगपुरा, बसेड़ा खांदु, कूलरखेडी, पचोर, जैत
3	छोटी सरवन	नापला, रेल, तालाब, कीकापाड़ा, बारी, बीलाखो, सजवानिया, लालपुरा, मंगलीयाखोरा, कलीयारी, ठीकरीया, रूपपुरा, पातिनगरा, दनाक्षरी, छालियावाड, नादगाखाली, खजुरी कुताबरी, मातासुला, गागरवा, कानपुरी, नवांटापरा, नादिया, चन्द्रोड, कोटडी, ठीकरीया, झमनिया, वीरपुरा
4	गढ़ी	कोटड़ा अनास, ईटाउवा, बिडली, भैसाउ, नादरिया, पादेडी, सारणपुर कुशलकोट, बस्सी मोटी व छोटी, चौहानमाता, कुवालिया, भरकडियापाड़ा, बिलौदा, पारसोलिया, खरखेड़ा, लसाड़ा, ठीकरीया, कोटड़ाबड़ा, नदीयाबड़ा व छोटा, खोडन, रोहनिया, रकमपुरा, बांकावाड़ा, कुमजी का पारड़ा, चौपासांग, गढ़ी, बेडवा, हिमता की धाणी, बोरी, मदरुप की धाणी पाडलिया की धाणी, मोरड़ी, मतान
5	घाटोल	नरवाली, घाटोल, कानजी का गढ़ा
6	बागीदौरा	छींछ, छाजा, कथेरिया, बेतीयावाड़ा, कागलिया, खूंटापारगी, रोहनिया, तलावड़ी, पाटिया, बरकोटा, डमखेरा, डाण्डव, महुडी, खूंटा, हालेड़ा, सातरोड़, चरड़ा, डोकर, वाद, पिपालाईदूदा

सामग्री (टी एण्ड पी) की सूची

क्र.सं.	स्थान जहां सामग्री उपलब्ध हैं	सामग्री एवं टी एण्ड पी जो उपलब्ध रखे जावें					
		खाली बोरीयां	रेत से भरी बोरीयां	गेती	तगारी	फावडे	पम्प/खाली ड्रम
1	माही बांध	500	500	25	50	25	10
2	कागदी पिक–अप वियर	200	200	15	20	15	5
3	सुरवानिया बांध	200	300	10	50	10	--
4	हारो बांध	500	--	5	5	5	--
5	गलियाकोट रिंग बांध	--	1500	30	20	50	20 H.P. Pump
6	स्टोर, कनिष्ठ अभियन्ता, मुख्यावास दामुन परिसर	200	--	10	20	10	--

7	जगपुरा एक्वेडक्ट	500	--	--	--	--	--
8	वितरण उपखण्ड–1 एवं 4 (बामुन) मुख्यालय गढ़ी	500	--	20	--	10	--
9	वितरण उपखण्ड–3 (बामुन) मुख्यालय तलवाड़ा	500	--	20	--	10	--
10	वितरण उपखण्ड–2 (बामुन) मुख्या. बागीदौरा/बडोदिया	500	--	20	--	10	--
11	भगोरा बांध	100	--	10	--	10	--
12	फुटन बांध	100	--	10	--	10	--
13	मकनपुरा तालाब	--	500	5	10	5	--
14	देलवाडा तालाब	--	500	5	10	5	--

वाहनों की व्यवस्था :–

आपातकाल में वाहनों की व्यवस्था प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता करेंगे। इस कार्य के लिए अधिशासी अभियन्ता बॉध खण्ड–प्रथम, माही पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता अपने वाहनो को चालू हालत में तैयार रखेंगे। वाहन चालक सभी अपने मुख्यालय पर ही उपलब्ध रहे यह सुनिश्चित किया जावें।

300 हेक्टर से अधिक सिंचाई क्षमता के तालाब

क्र.स.	तालाबों के नाम	स्टोरेज एम.सी.एफ.टी.	सीसीए (है0 में)
1	सुरवानिया	466	2229
2	फूटन	118	546
3	भगोरा	114	574
4	हारो	421	1845
5	मकनपुरा	172	460
6	देलवाड़ा	41	328

–: जल संसाधन विभाग का फ्लड कन्टेन्जेन्सी प्लान :–

वर्षा ऋतु वर्ष 2016 में जिले के अन्तर्गत सम्भावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जल संसाधन खण्ड के अधीन बॉधो, तलाबो, नहरों तथा जन साधारण की जानमाल की सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में कार्यालय द्वारा निम्न कार्यवाही प्रतिपादित की जा रही है:–

1. वर्षा पूर्व सिंचाई कार्यो का निरीक्षण–रखरखाव एवं मरम्मत आदि :–

वर्तमान में जल संसाधन खण्ड के अधीन 22 तालाब है, जिनमें 18 बांसवाड़ा जिले तथा 4 प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। किसी भी तालाब में Gated Operation व्यवस्था नहीं है। अतः बाँध भरने के उपरान्त वेस्ट वियर/बॉयवाश से अधिशेष जल निस्तारित होता है ।

2. बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना :–

खण्ड के अधीन जलाशयों के जलस्तर एवं वर्षा गेज की सूचना तहसील/उपखण्ड़ कार्यालयों से प्राप्त करने तथा जिला स्तर की सूचना संकलित कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने हेतु खण्ड़ीय कार्यालय में बाढ नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जो दिनांक 15–06–2017 से 30–09–2017 तक अनवरत कार्यशील रहेगा।

बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ नियमित रूप से 24 घन्टे कार्यरत रहेगा। यह प्रकोष्ठ जल संसाधन खण्ड़ के सभी तालाबों/बांधो के भराव, वर्षा, बाढ, नदी के बहाव सम्बंधी आंकड़े एकत्र कर सम्बंधित अधिकारियों एवं जिला कलेक्टर/जिला बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायेगा/संप्रेषित करेगा।

3. जल संसाधन खण्ड़ के अधीन जलाशयों तथा तालाबों की सुरक्षा :–

जल संसाधन खण्ड़ के अन्तर्गत आने वाले जलाशयों एवं तालाबों की सुची उपलब्ध है। जल संसाधन खण्ड़ द्वारा पंचायतों में स्थानान्तरित तालाबों की सूची उपलब्ध है। खण्ड के अधीन तालाबों के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित सहायक अभियंताओं को आदेशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी जलाशयों की सुरक्षा, अतिवृष्टि काल में सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु प्रत्येक सहायक अभियंता संवेदनशीलतानुसार प्रत्येक तालाब पर आवश्यकतानुसार खाली एवं रेत से बोरीया पर्याप्त मात्रा में एकत्रित करेगें। गेती, फावडे, तगारिया एवं अन्य सामान (फ्लड मेमोरेण्डम के अनुसार) एवं रोशनी की व्यवस्था भी करेगें। प्रत्येक तालाबों पर उपलब्ध सामग्री की सूची उपलब्ध है। सम्बधित सहायक अभियंता अपने क्षेत्र के जलाशयों के जल स्तर की सूचना जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष बॉसवाड़ा को प्रेषित करेगें तथा संभावित बाढ़ के समय रात्री में विशेष ध्यान रखेंगे। सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड़, बॉसवाड़ा/गढी मु. बॉसवाड़ा/ कुशलगढ/लघु–सज्जनगढ़/निर्माण घाटोल सीमेन्ट की खाली बोरीया 1000 नंग क्रमशः कुशलगढ़, घाटोल एवं सज्जनगढ़ पर तैयार रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर कही भी काम आ सकें। सभी सहायक अभियंता अपने अधीन जीप ट्रेक्टर, ट्रक, वाटर पम्प आदि चालू हालत में रखेगें।

4. तालाबों/जलाशयों पर नियुक्त कर्मचारी :–

प्रत्येक तालाब पर कार्यप्रभारी कर्मचारी की नियुक्ति सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाती है। कार्यप्रभारी कर्मचारी सम्बधित कनिष्ठ अभियंता से निरन्तर सम्पर्क में रहेगें एवं आपात स्थिति में खण्डीय कार्यालय में स्थापित बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ को सूचित करेगें एवं प्रतिदिन गैज रिपोर्ट प्रेषित करेगें।

5. वाहनों की व्यवस्था :–

बॉसवाडा खण्ड के सभी ड्राईवरों को निर्देश दिये जा चुके है, कि वे इस दौरान अपने मुख्यावास पर रहेंगें एवं अपने नियन्त्रण अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क में रहेंगें। प्रत्येक सहायक अभियंता अपने वाहनों को चालु हालत में तैयार रखेंगे।

6. सम्पर्क बिन्दु :–

वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा तथा तालाबों के गेज संबंधी सूचना दैनिक रूप से टेलिफोन तथा विशेष वाहक के माध्यम ये प्राथमिकता से आदान–प्रदान किये जाने संबंधी निर्देश समस्त सहायक अभियंताओं को दिये जाते है। बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबोधन से संबधित समस्त अधिकारी/ कर्मचारीगण अपने–अपने मुख्यावास पर रहेंगे एवं किसी भी परिस्थिति में अधीक्षण अभियंता की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यावास नहीं छोड़ेगें।

7. पम्प सेट एवं जनरेटर की व्यवस्था :–

आपातकाल से निपटने हेतु पम्प सेट तथा जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

विद्युत विभाग :–

1. नियन्त्रण कक्ष :–

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बांसवाड़ा द्वारा स्थापित किये जाने वाले नियन्त्रण कक्ष का विवरण निम्नानुसार है।

–	विभाग	कार्यालय	निवास
बांसवाड़ा मुख्यालय	अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण नि, लि. बाँस.	251270 240700	
उपखण्ड कुशलगढ़	अजमेर विद्युत वितरण नि, लि	GSS 275247	-
सज्जनगढ़	अजमेर विद्युत वितरण नि, लि	GSS 274714	-
बागीदौरा	अजमेर विद्युत वितरण नि, लि	GSS 220032	-
गढ़ी	अजमेर विद्युत वितरण नि, लि	GSS 237262	-

घाटोल	अजमेर विद्युत वितरण नि, लि	GSS 235983	-
गनोड़ा	अजमेर विद्युत वितरण नि, लि	GSS 273234	-
परतापुर	अजमेर विद्युत वितरण नि, लि	GSS 220444	-

2. विद्युत सप्लाई व्यवस्था :–

निगम वर्षा से पूर्व जिले में स्थित समस्त विद्युत पोल एवं पोल पर लगे हुए बिजली के तारो की रखरखाव इत्यादि को सुनिश्चित करेगा, ताकि खराब पोल अथवा ढीले तारों के तेज हवा या बारिश से गिरने के कारण करन्ट लगने से किसी प्रकार की जानमाल की हानि न हो। किन्ही परिस्थितियों में सड़क के आस–पास बिजली का खम्भा/विद्युत तार गिरने की स्थिति में उन्हे तुरन्त हटाने की कार्यवाही के साथ ही विद्युत प्रवाह तत्काल चालू रखा जावें।

जलदाय विभाग

1. नियन्त्रण कक्ष :–

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, बांसवाड़ा द्वारा स्थापित किये गये नियन्त्रण कक्ष का विवरण निम्नानुसार है।

–	विभाग	कार्यालय	निवास
बांसवाड़ा मुख्यालय	सहायक अभियन्ता, नगर उपखण्ड कार्यालय, बाँसवाड़ा	242531 242480	243435 242473

2. पेयजल सप्लाई व्यवस्था :–

विभाग वर्षा से पूर्व बांसवाड़ा मुख्यालय एवं अन्य जगह जहां विभागीय पाईप लाईन है, को वर्षा से पूर्व चेक कर लिया जावे, तथा लिकेज या लाईन में टूट–फुट को तत्काल ठीक करा लिया जावे। बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति में पाईप लाईन टूटने पर खराब अथवा गन्दे पानी का प्रवेश लाईन में नहीं हो तथा ऐसी क्षतिग्रस्त होने वाली पाईप लाईन को तत्काल ठीक कर पानी की सप्लाई नियमित रूप से की जावें।

–: बाँसवाड़ा नगरपरिषद क्षेत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था :–

कागदी पिक–अप वियर :–

इस पर 24 घण्टे सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षाकर्मियों की गश्त व पूर्ण चौकसी की व्यवस्था माही परियोजना द्वारा की जावेगी।

नोडल अधिकारी :– आयुक्त, नगरपरिषद बांसवाड़ा।

1. नियंत्रण कक्ष की स्थापना :–

नियन्त्रण कक्ष :–	नगर परिषद कार्यालय परिसर, बांसवाड़ा टेलिफोन 243714
मुख्य अधिकारी :–	श्री राजूराम मीणा, आयुक्त नगर परिषद, टेलीफोन नं. : कार्यालय–243714 निवास–248266 मो. : 8104007627
प्रभारी अधिकारी :–	श्री प्रभुलाल भाबोर, सहायक अभियंता, नगर परिषद,बांसवाड़ा टेलीफोन नं. : कार्यालय – 243714, मोबाईल – 9413306238
वाहन व्यवस्था :–	श्री प्रदीप गुप्ता मैकेनिक, नगर परिषद,बाँसवाड़ा गैराज शाखा नियंत्रण कक्ष में स्थाई रुप से 1 जीप मय वाहन चालक के व्यवस्था करना टेलीफोन नं. : कार्यालय – 243714
श्रमिक व्यवस्था :–	श्री शंकर होमजी, मेट, नगर परिषद, मोबाईल– 9414645699

	प्रति पारी में 10–10 श्रमिक की व्यवस्था मय संसाधन के व्यवस्था करेंगे।

अतिवृष्टि की स्थिति में :–

प्रभारी अधिकारी :–	श्री प्रभुलाल भाबोर, सहायक अभियंता, नगर परिषद,बांसवाडा टेलीफोन नं. : कार्यालय – 243714, मोबाईल – 9413306238 राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहर में कार्यरत विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं/संगठनों से अतिवृष्टि की स्थिति में सम्पर्क कर उनसे आर्थिक सहायता, भोजन, आवास, श्रमदान इत्यादि व्यवस्था हेतु आपको प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
आवास एवं भोजन पैकेट व्यवस्था :– 1. आश्रय स्थल, प्राइवेट बस स्टेण्ड़ रतलाम रोड 2. आश्रय स्थल, रोडवेज बस स्टेण्ड़ के पास 3 प. दीनदयाल सभा भवन, न.प. बां.	श्री कमल नयन आचार्य, कनिष्ठ लिपिक, (मो. नं. 9414237110) श्री हेरमनाथ दीक्षित, चतुर्थ श्रेणी, (मो. नं. 9414724165) श्री रतनलाल रेबारी, वायर मैन (मो. नं. 9414237110)

2. नालो की सफाई एवं जे.सी.बी. की व्यवस्था :–

(अ) नगर परिषद क्षैत्र में स्थित सभी छोटे–बडे नालों की सफाई का कार्य वर्षा से पूर्व किये जाने बाबत् निर्देश दिये गये। प्राकृतिक नालो की सूची निम्नानुसार हैं :–

क्र.स	परिषद क्षैत्र के प्राकृतिक एवं पक्के नालों का विवरण(जोन प्रथम)
1	बी.एस.एन.एल कॉलोनी माही सरोवर नगर से 100 फीट मुख्य सडक पर हरिशजी तलवाडिया के मकान से गणेश दुध डेयरी तक
2	गणेश दुध डेयरी से श्री भगवतीजी पुरी के मकान तक
3	हाऊसींग बोर्ड मंदिर के पास से न्यू हाऊसींग बोर्ड कॉलोनी पूर्व पार्षद अर्जूनसिंह के मकान तक
4	न्यू हाऊसींग बोर्ड कॉलोनी पूर्व पार्षद अर्जूनसिंह के मकान से होटल सम्राट तक
5	आयुर्वेदिक हॉस्पिटल मैन रोड डॉ. शेखावत के मकान तक एवं दयान्नद आश्रम रातीतलाई तक
6	मोहन कोलोनी होटल मयूर से रातीतलाई मेन रोड हाते हुवें भारत माता मंदिर के पास होते हुवें कागदी तक
7	मोहन कोलोनी इन्दौर कटपीस की दुकान से हॉस्पीटल केम्प के अंदर होते हुवें कागदी नाले तक
8	माही कॉलोनी के सहारे, हाउसींग बोर्ड चौराहे तक नाला
9	डायलाब पी.डब्ल्यु.डी. ऑफिस से पुष्पा नगर तक
10	चेतक कॉम्प्लेक्स से होते हुवें सुभाष नगर होते हुवें केसरीमल सराफ के बगीचे तक
11	केसरीमल सराफ के बगीचे प्रगति नगर से कॉलेज के पीछे होते हुवे नन्दौरमाता मंदिर तक
12	नागर धर्मशाला से चेतक कॉम्प्लेक्स तक दाहोद रोड मुख्य सडक का नाला
13	विनोद टाकिज पैशाब घर से जलदाय विभाग हाते हुवें कुशलबाग के पास होते हुवें कागदी नदी तक
14	उदयपुर रोड साजन–सजनी वाटिका से कागदी नदी तक
15	रातीतलाई श्री भवरलालजी मेहता के मकान से नागरवाडा स्कूल होते हुवें कागदी नदी तक
16	सूर्यानन्द मंदिर से न्सू हॉउसिंग बोर्ड तक
17	रातीतलाई कामकाजी छात्रावास के पास मेन रोड पर कागदी नदी तक श्री पवन पंचाल के मकान तक
18	कॉमर्शियल ऐरिया श्री पना भाई पंचाल के मकान से महावीर हरिजन कॉलोनी होते हुवें केसरीमल के बगीचे तक
19	हरिजन बस्ती श्रीमती देवबाला पार्षद के मकान से माता की बाव होते हुए कब्रिस्तान तक
20	वाडिया कॉलोनी गोकुल धाम से वाडिया बस्ती होते हुए नक्षत्र माल होते हुवें साई वाटिका होते हुए गोकुल धाम गैलेक्सी शारदा नगर के पीछे होते हुए कागदी नदी तक

21	काला भाई पेट्रोल पम्प से जे.सी. शाह के मकान तक मेन सड़क दाहोद रोड़
22	शिव कॉलोनी श्रीनाथ वे ब्रीज के सामने

क्र.स	परिषद क्षैत्र के प्राकृतिक एवं पक्के नालों का विवरण(जोन द्वितीय)
1	पूर्व पार्षद राधा मईडा के मकान से अब्दुल रशीद गौरी के मकान से होते हुए ईसाई कब्रिस्तान तक
2	ईसाई कब्रिस्तान से नई अबादी स्कुल होते हुवे डायलाब तक
3	नबीपुरा पौषाक स्कुल के पास से पूर्व पार्षद श्रीमती सीमरन हाक के मकान तक
4	खराडी गैस ऐजेन्सी ऑफिस के पास से शिव फर्निचर के पीछे होते हुवें डॉ. लड्ढा हॉस्पी. तक
5	रतलाम रोड ऋषी कुंज से मधुर मिलन के पीछे हाते हुवे डॉ. लड्ढा हॉस्पी. तक
6	मुस्लिम कॉलोनी पुलिस क्वाटर से कब्रिस्तान के सहारे बांसफोड कॉलोनी होते हुए डायलाब तक
7	गणपती मन्दिर नई आबादी से नई आबादी गर्ल्स स्कूल से होते हुवें कागदी नाला तक
8	वनेश्वर आर.एम.सी. कनोल से कल्याण कॉलोनी सड़क सहारे वनेश्वर महादेव के पीछे कागदी नदी तक
9	भण्डारिया हनुमानजी भाग़ाकोट सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल होते हुवें कागदी नाला तक
10	मदार कॉलोनी जामफलवाडी से नबीपुरा में सिमरन हक के मकान हाते हुवें डायलब तक
11	रोडवेज बस स्टेण्ड मेन रोड से रैन बसेरा वाली सडक तक टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे तक
12	रतलाम मैन रोड श्री मोहनलाल पहाडिया के मकान से खराडी गैस एजेन्सी ऑफिस के पास तक
13	कब्रिस्तान उदयपुर रोड चौराहा होते हुवें इंदौर कटपीस तक
14	भागाकोट आम्बावाडी कुंए के पास होते हुवें सोनिया के नोहर से सिगवाव खालीया तक
15	भागाकोट गोतम भाई के मकान से वैष्णव समाज के नोहरे होते हुवें लालवमठ के सहारे द्वाराकाधीश मंदीर तक
16	लालीवाव मठ के आगे भागाकोट कल्याण कॉलोनी सड़क के सहारे
17	सब्जी मण्डी डेगली माता से मेन सडक सब्जी मण्डी पाला जामा मस्जिद तक
18	मदार कॉलोनी मस्जिद के पीछे से पौषाक स्कूल तक कच्चा नाला
19	नगर परिषद दूकानों के पास से कूशलबाग मैदान के सहारे–सहारे होते हुवें कागदी नदी तक

क्र.स	परिषद क्षैत्र के प्राकृतिक एवं पक्के नालों का विवरण(जोन तृतीय)
1	खान्दु कॉलोनी पुलीस क्वाटर से सीनीयर स्कूल तक का नाला
2	दाहोद रोड डिजल एण्ड डिजल के पास होते हुए बाहुबली आदित्य नगर तक
3	आदित्य नगर बाहुबली कॉलोनी से सूर्यान्नद नगर तक
4	नाथेलाव तलाब की पाल से हिराबाग कॉलोनी होते हुए आदित्य नगर
5	राजतलाब काजी साहब के खेत से दाहोद रोड चेतक कॉम्पलेक्स तक
6	पृथ्वीगंज बाजा खाना से पृथ्वीगंज स्कूल होते हुए काजी साहब के खेत तक
7	खान्दु कॉलोनी मेन गेट से से.न. 6 व 7 में होते हुए अम्बामाता मंदिर तक
8	आम्बामाता मंदिर के पास से खान्दु कॉलोनी सेक्टर नं. 5 कच्चे नाले तक एवं आगे कच्चे नाला
9	खान्दु कॉलोनी सी.सै. स्कूल के सहारे होते हुए बोहराजी की टेण्ट कर दूकान से होते हुवें पीछे कच्चे नाले तक
10	कालिका माता मंदिर के पीछे पूरानी कोठी भवन स्कूल कोठी भवन स्कूल के पीछे से कालिका माता मंदिर तक
11	खान्दु आलोक स्कूल से एम.एल.शाह के मकान के सामने वाला
12	लाड मोहम्मद जी एईन सा. के मकान से राजतलाब के सहारे हुए तेजलाजी चौराहे तक
13	कचरु भाई के खेत से होते हुए अब्दुलापीर तक
14	खान्दु कॉलोनी श्री रमेशजी पंवार के मकान से राजतलाब के सहारे होते हुवें पीछे से कच्चा नाला से न. 5 तक
15	राजतलाब मजिद भाई के मकान से अब्दुलापीर दरगाह तक इंदिरा कालेनी नेशनल स्कूल से अब्दुलापीर तक
16	काली कल्याण धाम हुसैनी चैक से राजतलाब तक नाला
17	नाथेलाव कॉलोनी कबीर मंदिर के पीछे आशीर्वाद स्कूल तक
18	हकीम भाई के घर से शमशुद्धीन के घर होते हुवें फकरु भाई के घर तक

(ब) सफाई निरीक्षकों के क्षेत्र निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	नाम स्वास्थ्य निरीक्षण	क्षेत्र	टेलीफोन/मोबाईल
1.	श्री नरेश मेहता	सेक्टर 'ए'	244533 / 9414645295
2.	श्री हेमन्त भट्ट	सेक्टर 'सी'	243203 / 9887012003
3.	श्री विनोद भट्ट	सेक्टर 'बी'	9587340244

(स) संवेदक (जे.सी.बी. ट्रेक्टर):–

क्र.सं.	नाम स्वास्थ्य निरीक्षण	मोबाईल	अन्य विवरण
1.	श्री अजीम खां	8767141264	जे.सी.बी. उपलब्ध करवाने
2.	श्री अनवर खां	9461378714	ट्रेक्टर एवं टैंकर उपलब्ध करवाने

3. मरम्मत कार्य :–

शहर की क्षतिग्रस्त सड़के एवं नालियाँ जिसमें गड्डे इत्यादि की मरम्मत के लिये निविदाएं आमन्त्रित की गई है यथा सम्भव वर्षा से पूर्व ही कार्य सम्पन्न किया जावे तथा परिषद में 1 मेट तथा पर्याप्त संख्या में बेलदार उपलब्ध है जो निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

4. जीर्ण शीर्ण भवनों का चिन्हिकरण :–

ऐसे निजी/राजकीय भवनों का चिन्हिकरण वर्षा से पूर्व कर लिया जावे, जिनके भारी वर्षा के कारण ढह जाने की सम्भावना हो, तथा भवनों के मालिक को वर्षा से पूर्व मरम्मत करने अथवा हटाये जाने बाबत् नियमानुसार कार्यवाही कर निर्देश दिये जावे ताकि जान–माल की हानि न हो।

5. डीजल पम्प :–

आवश्यकतानुसार डीजल पम्प उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. रेत के कट्टे :–

नगर परिषद् 2000 खाली कट्टे भरवाकर कार्यालय में रख दिये जावे, ताकि आवश्यकतानुसार मौके पर उपलब्ध साधनों से भिजवाने की व्यवस्था की जा सके।

7. प्रभावित व्यक्तियों का हस्तान्तरण करने हेतु चिन्हींत स्थान :–

आश्रय स्थल–1, बी.एस.एन.एल. ऑफिस के पास रतलाम रोड, आश्रय स्थल–2, प्राईवेट बसस्टेण्ड के पास रतलाम रोड, औदिच्यवाड़ा विद्यालय, सामुदायिक भवन, हाउसिंग बोर्ड केशव सामुदायिक भवन, ओसवालवाड़ा विद्यालय, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय तथा नगर परिषद हॉल चिन्हित किये जावे।

8. कागदी पिक–अप वियर तथा नालों के आस–पास हेलोजन लाईट की व्यवस्था :–

परिषद द्वारा अपने स्तर पर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

9. पेट्रोमैक्स :–

पेट्रोमैक्स की व्यवस्था आवश्यकतानुचार सुनिश्चित की जावे।

10. नाव एवं तैराक :–

नगर परिषद नाव तथा तैराकों की सूची तैयार कर तुरन्त उपलब्ध करावें। यह व्यवस्था सिंचाई विभाग के स्तर से की जावें।

11. फिनाईल/दवाईयां :–

जलप्लावन की स्थिति में गन्दे पानी की सफाई हेतु किटनाशक दवाईयां एव फिनाईल इत्यादि का छिडकाव सुनिश्चित किया जावे।

12. टेण्ट हाउस :–

नगर परिषद बांसवाड़ा क्षैत्र में उपलब्ध टेण्ट हाउसों की सूची निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	टेण्ट हाउस का नाम	टेलीफोन नम्बर
1.	न्यू मुकुल टेन्ट एण्ड लाईट डेकोरेटर बांसवाड़ा	9413306197
2.	मंसूरी टेण्ट हाउस, बांसवाड़ा	241542
3.	मेहता लाईट एण्ड डेकोरेशन, बांसवाड़ा	244882, 243485
4.	भूषण टेण्ट हाउस, बांसवाड़ा	241322
5.	अम्बिका टेण्ट हाउस, नई आबादी, बांसवाड़ा	9413305268
6.	पंकज टेण्ट हाउस एण्ड कार्पोरेशन, बांसवाड़ा	9414101895
7.	त्रिपुरा टेण्ट हाउस, बांसवाड़ा	9414101407

13. उपलब्ध संसाधन :–

नगर परिषद बांसवाड़ा के पास उपलब्ध संसाधन में मुख्य रूप से पालिका भवन, दीनदयाल सामुदायिक भवन, केशव सामुदायिक भवन एवं रैन बसेरा है तथा निम्नानुसार वर्तमान में उपलब्ध है :–

क्र.सं.	नाम वाहन	वाहन संख्या
1.	जीप	आर.जे. 03/सी 1038
2.	फायर बिग्रेड	आर.जे.03/सी–1131
3.	फायर बिग्रेड	आर.जे.03/सी–1015
4.	फायर बिग्रेड	आर.जे.03/सी–1303
5.	फायर बिग्रेड	आर.जे.03/ई.ए. –2411
6.	फायर बिग्रेड	नया आवंटित
7.	ट्रेक्टर	आर.जे.03/आर.ए. 2942
8.	ट्रेक्टर	आर.जे.03/सी–2088
9.	ट्रेक्टर	आर.जे.03/सी–2388
10.	ट्रेक्टर	आर.जे.03/सी–2389
11.	ट्रेक्टर	आर.जे.03/आर.ए. 3483
12.	लोडर	आर.जे.03/ई.ए–1959
13.	लोडर	आर.जे.03/ई.ए.–0053
14.	किलोस्कर ईंजन	दो

15.	कार	आर.जे.03/सी–155
16.	कंटेनर	आर.जे.03/844
17.	टेम्पो (सफाई साधन)	आर.जे.03/1232
18.	महेन्द्रा थार	आर.जे.03/यु.ए. 2539
19.	न्यु बोलेरो एस.एल.ई.	ए.एफ.आर. जे.03/यु.ए. 2540
20.	जे.सी.बी.	आर.जे.03/ई.ए. 2410
21	हुपर टिपर–1(टाटा)	नया वाहन
22	हुपर टिपर–2(टाटा)	नया वाहन

14. अन्य :–

नगर परिषद बांसवाड़ा के पास उपकरण में 10 गेती, 10 फावडे, 10 तगारे 1 नाईलोन रस्सा(300 फीट), सब्बल 2 नंग, टार्च 3 नंग, बरसाती रेन कोर्ट 6 नंग एवं समान रखने हेतु लोहे का बडा बक्सा 1नंग इत्यादि यथासमय उपलब्ध रखे।

–: कुशलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था :–

नोडल अधिकारी :– कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका कुशलगढ़।

1. नियन्त्रण कक्ष की स्थापना :–

प्रभारी अधिकारी	श्री मनीष कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका कुशलगढ़ टेलिफोन नं. कार्यालय 02965–275222 मो. नं. – 9887452217
सहायक प्रभारी	श्री प्रहलादसिंह, कनिष्ठ लिपिक टेलिफोन नं. कार्यालय 275222 मो.–9828346114
वाहन व्यवस्था	1. श्री मनोज कुमार राव, ड्राईवर टेलिफोन नं. कार्यालय 27522 मो नं. 9413295726 2. श्री कालु निनामा, अग्निशमन वाहन ड्राईवर मो. नं.– 8769696090 3. महेन्द्र दमामी, अग्निशमन वाहन ड्राईवर मो. नं.– 9549725462
श्रमिक व्यवस्था	श्री अशोक कुमार पण्ड्या,मो. नं. 9983936723 दस श्रमिक एवं संसाधन के साथ रहेंगे।
पंजिका संधारण	नियन्त्रण कक्ष सूचना आदन प्रदान करने हेतु पंजिका संधारण की जावेगी।

प्रकिया कार्य दिवसों में

क्र.स.	पारी	समय	कर्मचारी
1	प्रथम	प्रातः 6 बजे से दोप. 2 बजे तक	श्री अशोक कुमार पड्या सफाई प्रभारी (सेवा निवृत)
2	द्वितीय	दोप. 2 बजे से रात्री 10 बजे तक	श्री हरेन्द्र भाटी
3	तृतीय	रात्री 10 बजे से सुबह. 8 बजे तक	श्री सोहन खीमा

आरक्षित कर्मचारी

क्र.स.	कर्मचारी
1	श्री प्रहलादसिंह क.लि.
2	श्री दशरथ/दिता च.श्रे.क.
3	श्री सुमित चरपोटा

अतिवृष्टि की स्थिति में:–

क्र.स.	कर्मचारी
1	श्री मनीष कुमार कनिष्ठ अभियन्ता टेलिफोन नं. 275222 मो. नं.– 9887452217 राज्य सरकार के निर्देशानुसार अतिवृष्टि की स्थिति में आवश्यक व्यवस्था हेतु नियुक्त किया जाता है।

2 नालों की सफाई एवं जे.सी.बी. की व्यवस्था :–

निम्नांकित नालों की सफाई वर्षा से पुर्व सुनिश्चित की जावे।

क्र. सं.	नालों का विवरण
1	चौधरी वाला नाला
2	हिरण नदी का नाला

4. सफाई निरीक्षक के क्षेत्र का विवरण :–

क्र. सं.	प्रभारी सफाई निरीक्षक	क्षेत्र	टेलि/मो. नं.
1	श्री अशोक कुमार पण्डया	सम्पूर्ण नगर क्षेत्र	275723/9983936723
2	श्री संजय पिठाया		9413295843

5. **डीजल पंप:–**
   आवश्यकतानुसार डीजल पम्प किराये पर लेकर व्यवस्था कर दी जावेगी।
6. **रेत के कट्टे :–**
   500 खाली कट्टे भरवाकर कार्यालय मे रखे जावें एवं मौके पर भिजवाने की व्यवस्था की जावें।
7. **प्रभावित क्षेत्र :–**
   1 रा.उ.प्रा.वि. पाण्डवासाथ
   2 रा.उ.प्रा.वि. मुस्लिम बस्ती
   3 रा.उ.प्रा.वि. नवीन
   4 रा.उ.प्रा.वि. नवीन व भोईवाडा स्कुल, सीनियर सैकेण्डरी स्कुल छात्र/छात्रा
8. **पेट्रोमेक्स:–** 5 पेट्रोमेक्स एवं टार्च पालिका स्टोर में उपलब्ध है। जनरेटर की व्यवस्था की जावें।
9. **नाव तैराक:–** पालिका के पास नाव/तैराक की सूचियां मय टेलीफोन नंबर एवं एड्रेस के तैयार रखी जावें।
10. **फिनाईल दवाईयां:–** पालिका द्वारा किटनाशक दवाईयां एवं फिनाईल के छिडकाव समय–समय पर करा दिया जावेगा।
11. **टेण्ट हाउस :–**

क्र. सं.	टेन्ट हाउस का नाम	टेलीफोन नं.
1	कोवालिया टेन्ट हाउस कुशलगढ़	275355, 9413625271
2.	राजेन्द्र टेन्ट हाउस कुशलगढ़	9784969815
3.	कल्पना टेन्ट हाउस कुशलगढ	275971
4.	ममता टेन्ट हाउस कुशलगढ़	275296

12. अधिकरियों/कर्मचारियो की सूची

क्र.स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	कार्यालय	निवास	फोन/मो. नंबर
1	श्री राजूराम मीणा	अधिशाषी अधिकारी	275222		8104007627
2	श्री मनीष कुमार	क.अ.	275222		9887452217
3	श्री प्रहलादसिंह	क.लि.			9828346114
4	श्री गजेन्द्र कुमार	च.श्रे.क.			
5	श्री दशरथ दीता	च.श्रे.क.			
6	श्रीमती अर्चना राव	च.श्रे.क.			
7	श्री अशोक पड्या(सेवा निवृत)	सफाई इंचार्ज			9983936723
8	श्री राजेन्द्र हकरु	च.श्रे.क.			
9	श्री मनोज कुमार राव	ट्रेक्टर ड्राईवर			9413297526
10	श्री हरेन्द्र भाटी	मेट			9982438808

13. उपलब्ध संसाधन :–

पालिका के पास उपलब्ध संसाधन मे मुख्य रूप से पालिका भवन है।

क्र. सं.	नाम वाहन	वहन नं.
1.	ट्रैक्टर मय ट्रॉली 2, ऑटो टिप्पर–1	RJ-03 RA-2460, RJ-03 RA-3430
2.	अग्निशमन वाहन–2	RJ-03 EA-0028,RJ-03 EA-2876
3.	एम्बुलेंस	RJ-03 PA-1273

14. उपकरण :– पालिका के पास उपकरण मे 10 गैती, 10 तगारे एवं रस्सा इत्यादि उपलब्ध है।

–:: तहसील क्षैत्र बाँसवाड़ा/आंबापुरा/छोटी सरवन ::–

नोडल अधिकारी :–

तहसील क्षेत्र बाँसवाड़ा में अतिवृष्टि तथा बाढ़ की स्थिति से निपटने एवं सहायता हेतु उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा, प्रभारी अधिकारी तथा तहसीलदार बांसवाड़ा/आबापुरा/छोटी सरवन नोडल अधिकारी होगें।

अधिकारियों का दल :–

इन तहसील क्षैत्र में नोडल अधिकारी तहसीलदार, बाँसवाड़ा के साथ निम्न अधिकारियों का दल आपदा की स्थिति में तैयार रहेगा।

- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बाँसवाड़ा, तलवाड़ा एवं छोटी सरवन
- ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, बाँसवाड़ा, तलवाड़ा एवं छोटी सरवन
- नायब तहसीलदार, बाँसवाड़ा/आंबापुरा/छोटी सरवन
- थानाधिकारी आबापुरा/दानपुर/सदर
- सहायक अभियन्ता, माही परियोजना, बाँसवाड़ा
- सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बाँसवाड़ा
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाँसवाड़ा

- सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., बाँसवाड़ा
- सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग, बाँसवाड़ा
- चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी सरवन
- पशु चिकित्सा अधिकारी, दानपुर
- प्रवर्तन अधिकारी (रसद) बाँसवाड़ा

चिकित्सा व्यवस्था :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी सरवन के नेतृत्व में चिकित्सा दल का गठन कर आपदा की स्थिति में तैयार रखेंगे। चिकित्सा दल के पास आवश्यक दवाईयां उपलब्ध रहेंगी।

पशु चिकित्सा व्यवस्था :–

जिला पशुपालन अधिकारी की ओर से इस क्षेत्र में आपदा की स्थिति में पशु चिकित्सा हेतु दानपुर पशु चिकित्सक के नेतृत्व में दल गठित कर आवश्यक दवाईयों की व्यवस्था रखी जायेंगी।

अन्य व्यवस्था :–

तहसीलदार बाँसवाड़ा अपना तहसील क्षेत्र होने के कारण आपदा सहायता में संबंधित अन्य आवश्यक व्यवस्थाऐं रखेंगे।

बांध/तालाब की व्यवस्था :–

तहसील क्षैत्र में सिंचाई विभाग के बाँध तथा तालाबों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सिंचाई विभाग का रहेगा, जिसके लिये पर्याप्त व्यवस्था मजदुरों, रेत के कट्टों, उपकरणों आदि की व्यवस्था रखी जावेगी। विशेषकर सुरवानिया बाँध के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था रखी जावेगी।

नावों तथा तैराकों की व्यवस्था :–

सहायक निदेशक मत्स्य तथा राजस संघ द्वारा नावों तथा तैराकों की व्यवस्था की जाकर तैराको व नाविको की सूची मय टेलीफोन नंबर एवं एड्रेस के उपलब्ध करावें।

सुन्दनपुर पुलिया/मकोडिया नाला (बोरवट)/जानामेड़ी नाले थापड़ा पुल (बागीदौरा)/ सतोरी नाला (परतापुर) टिमेड़ा बडा नाला एवं अन्य नदी नालों के पुलियें के ऊपर पानी आने पर किये जाने वाले उपाय :–

बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय पुलियें के ऊपर पानी जाने पर क्षेत्र के पटवारी तथा ग्राम सेवक तत्काल पुलिस विभाग को एवं नोडल अधिकारियों को सूचित करेंगे। राजस संघ एवं सहायक निदेशक मत्स्य विभाग नावों तथा तैराकों (मछुवारों) को तत्काल भेजेंगे। पुलिस विभाग पर्याप्त मात्रा में गोताखोरों/होमगार्ड़ों तथा पुलिस कान्स्टेबल को तत्काल तैनात करेंगे। पुलियें के दोनो तरफ से वाहनों को तथा पशुओं को पुलियें पर उतरने नहीं देंगे, तथा अन्य मार्गो से ट्राफिक को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

सहायता शिविर :–

जिला आपदा प्रबन्धक प्रत्येक गांवों में शिविर लगाने का निर्णय करेंगे, तथा इसके आकार को निश्चित करेंगे। सहायता शिविर का प्रशासनिक ढ़ांचा टेबिल नम्बर 2 में दिया हैं जो प्रत्येक प्रभावित लोगों की मदद के लिये जिम्मेदार होगा। सहायता शिविर तहसीलदार स्तर के अधिकारियों द्वारा संचालित होगा। यदि सहायता शिविर नगरपालिका क्षेत्र में हो तो नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा संचालित होगा।

जिला आपदा प्रबन्धक यह निर्णय ले सकते हैं कि यदि कोई एन.जी.ओ. सहायता शिविर संचालन में सक्षम हैं तो उसे संचालन का अधिकार देकर सहायता शिविर संचालित कराया जावे।

स्थल संचालन केन्द्र गतिविधि :–

(क) निम्न कार्य करना :–

- बचाव एवं प्रभावित स्थान खाली करवाना।
- शवों का निस्तारण करवाना।
- फीडिग केन्द्र (दो सप्ताह के लिए शीध्र से शीध्र स्थापित करना)।

- पानी तथा भोजन की पूर्ति करना।

(ख) **निम्न के साथ कम्यूनिकेशन :–**

- जिला नियंत्रण कक्ष।
- क्षेत्र में कार्यरत जिला प्रशासन के कर्मचारी।
- अलग–अलग स्थापित शिविरों के शिविर अधिकारी।
- एन.जी.ओ.।

(ग) **जिला नियन्त्रण कक्ष से संप्रेषण करना**

- बचाव एवं खोज की जरूरत।
- नकद मुआवजा।
- ट्रांसपोर्ट, सहायता सामग्री, एम्बूलेन्स, सहायता तथा पशु शिविर की जरूरत को प्राप्त करना तथा इसे इकट्ठा करना।

(घ) **भोजन, पानी की आपूर्ति, साफ–सफाई का निरीक्षण करना।**

–:: तहसील क्षेत्र गढ़ी ::–

क्र. सं.	नाम ग्राम	नदी जिससे बाढ़ संभावित हैं	शरण स्थल
1	कोटड़ा	अनास	प्रा.वि. भवन कोटड़ा
2	ईटाऊवा	अनास	प्रा.वि. भवन इटाऊवा
3	बिडली	अनास	प्रा.वि. भवन इटाऊवा
4	भैसाऊ	अनास	प्रा.वि. भवन इटाऊवा
5	नादरिया	अनास	प्रा.वि. भवन नादरया
6	पादेडी	माही/अनास	प्रा.वि. भवन पादेड़ी
7	सारणपुर	माही	उ.प्रा.वि. भवन सारणपुर
8	कुशलकोट	माही	उ.प्रा.वि. भवन कुशलकोट
9	बस्सी मोटी	माही	उ.प्रा.वि. भवन बस्सी मोटी
10	बस्सी छोटी	माही	उ.प्रा.वि. भवन बस्सी मोटी
11	चौहान माता	माही	उ.प्रा.वि. भवन बस्सी मोटी
12	कुवालिया	माही	उ.प्रा.वि. भवन कुवालिया
13	भरकडीपाड़ा	माही	उ.प्रा.वि. भवन भरकडीपाड़ा
14	बिलौदा, बिलौदा आबादी	माही	उ.प्रा.वि. भवन बिलौदा
15	पारसोलिया	माही/चाप	उ.प्रा.वि. भवन पारसोलिया
16	खखेड़ा	माही/चाप	प्रा.वि. भवन खखेड़ा
17	लसाडा	माही/चाप	उ.प्रा.वि. भवन लसाडा
18	ठिकरिया	माही/चाप	उ.प्रा.वि. भवन ठिकरिया
19	कोटड़ा बड़ा	माही/चाप	उ.प्रा.वि. भवन कोटडा
20	नडीयादा बड़ा	माही/चाप	प्रा.वि. भवन नडीयादा बड़ा
21	नडीयादा छोटा	माही/चाप	प्रा.वि. भवन नडीयादा बड़ा

22	खोडन	माही/चाप	मा.वि. खोड़न
23	रोहनिया रतनपुरा	माही	प्रा.वि. रोहनिया रतनपुरा
24	वाकावाड़ा	माही/चाप	प्रा.वि. भवन वाकावाड़ा
25	कुमजी का पारड़ा	माही/चाप	उ.प्रा.वि. कुमजी का पारड़ा
26	चौपासांग	माही/चाप	उ.प्रा.वि. भवन चौपासांग
27	गढ़ी	माही/चाप	उ.प्रा.वि. भवन गढ़ी
28	बेड़वा	माही/चाप	उ.प्रा.वि./आंगनवाड़ी बेडवा
29	हिमता की धाणी	माही/चाप	उ.प्रा.वि./आंगनवाड़ी बेडवा
30	बोरी	माही	उ.प्रा.वि./आंगनवाड़ी बेडवा
31	मदरा की धाणी	माही	उ.प्रा.वि./आंगनवाड़ी बेडवा
32	पाडलिया की धाणी	चाप	प्रा.वि. भवन
33	मोरडी	चाप	प्रा.वि. भवन
34	भतार	चाप	प्रा.वि. भवन

रसद व्यवस्था :–

जिला रसद अधिकारी बाँसवाड़ा द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर 10 क्विंटल गेहूं, 2 क्विंटल चावल एवं 100 लीटर केरोसीन की व्यवस्था आपदा की स्थिति में व्यवस्था हेतु आटा, चावल, दाल, सब्जी आदि उपलब्ध कर सकने वाली उचित मुल्य की दुकानों की पहचान कर सूची उपलब्ध करावें। डी.एस.ओ. स्तर पर सभी पेट्रोल पम्पो पर डीजल/पेट्रोल रिजर्व रखा जावें।

चिकित्सा व्यवस्था :–

वर्षकाल में बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं व वर्षाजन्य रोगों की रोकथाम करने के लिए निम्नानुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाते है:–

क्र.स.	तहसील/पं.स.	प्रभारी अधिकारी
1	तलवाडा एवं तहसील बांसवाड़ा की 18 ग्राम पंचायतें।	उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
2	गढ़ी/अरथुना	उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी
3	घाटोल	उपखण्ड अधिकारी,घाटोल
4	सज्जनगढ़	उपखण्ड अधिकारी,सज्जनगढ़
5	आनन्दपुरी	उपखण्ड अधिकारी,आन्नदपुरी
6	बागीदौरा	उपखण्ड अधिकारी,बागीदौरा
7	कुशलगढ़	उपखण्ड अधिकारी,कुशलगढ़
8	छोटी सरवन	उपखण्ड अधिकारी,छोटी सरवन
9	गनोडा	उपखण्ड अधिकारी,घाटोल
10	गांगडतलाई	उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा
11	आम्बापुरा	उपखण्ड अधिकारी,बांसवाड़ा

क्रमशः मण्डल वन अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बांसवाड़ा आरक्षित प्रभारी अधिकारी के रुप में रहेंगे। संबंधित तहसीलदर/उपतहसीलदार एवं विकास अधिकारी सहायक प्रभारी अधिकारी के रुप में कार्य करेंगे।

निम्न चिकित्सालयों में दवाईयों, उपकरणों के साथ चिकित्सा दल तैयार रहेंगे :–

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटड़ा।
- आयुर्वेद भवन कुवानिया।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोरी।

- आयुर्वेद भवन मोर।
- आयुर्वेद औषधालय चौपासांग।
- सब सेन्टर जौलाना।
- सब सेन्दर पादेडी।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आंजना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पालोदा।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोर/गढ़ी।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परतापुर।

पशु चिकित्सालय व्यवस्था :–

तहसील क्षेत्र गढ़ी के समस्त पशु चिकित्सालयों में पशुपालन के चिकित्सक दल दवाईयां तथा उपकरणों के साथ तैयार रहेंगे।

अन्य व्यवस्था :–

तहसीलदार गढ़ी अपने तहसील क्षेत्र होने के कारण आपदा सहायता से संबंधित आवश्यक व्यवस्थायें करायेंगे, की गई व्यवस्थाओं के आदेश प्रस्तावित कर एक प्रति कलक्टर को भेजेंगे।

नाव तथा तैराकों की व्यवस्था :–

राजस संघ एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा नावों तथा तैराकों की व्यवस्था की जावेंगी।

नोड़ल अधिकारी :–

उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी प्रभारी अधिकारी, तथा तहसीलदार गढ़ी नोड़ल अधिकारी होंगे।

अधिकारियों का दल :–

इस तहसील क्षेत्र के नोडल अधिकारी तहसीलदार गढ़ी के साथ निम्न अधिकारीगण का दल आपका की स्थिति से निपटने के लिए रहेगा :–

- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गढ़ी/अरथुना।
- ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, गढ़ी/अरथुना।
- थाना अधिकारी, गढ़ी।
- नायब तहसीलदार, गढ़ी।
- सहायक अभियन्ता माही परियोजना, गढ़ी।
- सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, गढ़ी।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गढ़ी।
- सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., गढ़ी
- सहायक अभियन्ता जलदाय विभाग, गढ़ी।
- चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढ़ी।
- पशु चिकित्सा अधिकारी, गढ़ी।
- प्रवर्तन निरीक्षक, गढ़ी।

–:: तहसील क्षेत्र घाटोल/गनोडा ::–

प्रभावित क्षेत्र :–

क्र. सं.	संभावित बाढ़ प्रभावित ग्राम	विशेष विवरण
1	नरवाली	माही नदी में पानी अधिक होने पर बाँसवाड़ा–धरियावाद मार्ग अवरूद्ध होने पर

2	घाटोल	वर्षा अधिक होने से नालों का पानी धरों में भर जाने से
3	कानजी का गढ़ा	हेरोडेम का बेकवाटर आने पर पानी धरों में आने पर

शरणस्थलों की व्यवस्था :–

- सीनियर सैकेण्डरी स्कूल भवन, नरवाली।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस, घाटोल।
- सीनियर सैकेण्डरी स्कूल भवन, कानजी का गढ़ा।

रसद व्यवस्था :–

जिला रसद अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर 16 क्विंटल गेहूं, 2 क्विंटल चावल एवं 100 लीटर केरोसीन की व्यवस्था आपात स्थिति में व्यवस्था हेतु आटा, दाल, सब्जी आदि उपलब्ध करा सकने वाली दुकानों की पहचान।

चिकित्सा व्यवस्था :–

घाटोल में चिकित्सालयों में दवाईयों तथा उपकरणों के साथ चिकित्सा दल तैयार रहेंगे।

पशु चिकित्सालय व्यवस्था :–

तहसील घाटोल के पशुपालन विभाग के चिकित्सा दल, दवाईयां तथा उपकरणों के साथ तैयार रहेंगे।

अन्य व्यवस्था :–

तहसीलदार अपना तहसील क्षेत्र होने के कारण आपदा सहायता से संबंधित आवश्यक व्यवस्थायें करायेंगे।

नाव तथा तैराकों की व्यवस्था :–

राजस संध एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा नावों तथा तैराकों की व्यवस्था की जावेंगी।

नोड़ल अधिकारी :–

उपखण्ड अधिकारी, घाटोल प्रभारी अधिकारी, तथा तहसीदार घाटोल/गनोडा क्षेत्र के नोडल अधिकारी रहेंगे।

अधिकारियों का दल :–

इस तहसील क्षेत्र में नोडल अधिकारी तहसीलदार घाटोल के साथ निम्न अधिकारीगण का दल आपदा से निपटने हेतु रहेगा :–

- विकास अधिकारी, पंचायत समिति घाटोल
- ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति घाटोल
- थाना अधिकारी, खमेरा
- नायब तहसीलदार घाटोल
- सहायक अभियन्ता माही परि. घाटोल
- सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, घाटोल
- सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 घाटोल
- सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., घाटोल
- सहायक अभियन्ता जलदाय विभाग घाटोल
- चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घाटोल
- पशु चिकित्सा अधिकारी घाटोल
- प्रवर्तन निरीक्षक घाटोल।

–:: तहसील क्षेत्र बागीदौरा/गांगडतलाई/आनंदपुरी ::–

प्रभावित क्षेत्र :–

क्र. सं.	नाम ग्राम	विशेष विवरण
1	छींच	अतिवृष्टि से नाले का पानी गांव में घुस जाता हैं। कडाना बांध के बेकवाटर क्षेत्र में आने वाले ग्राम जो भारी वर्षा से बांध के पूर्ण भराव क्षमता पर बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं।
2	छाजा	"—"
3	बेतीयावाड़ा	"—"
4	कथेरिया	"—"
5	कागलिया	"—"
6	खूंटा पारगी	"—"
7	रोहनिया	"—"
8	तलावडी	"—"
9	पाटीया	"—"
10	बरकोटा	"—"
11	डमखेरा	"—"
12	डाण्डव	"—"
13	महूडी खूंटा	"—"
14	हालेडा	"—"
15	सातरोड	"—"
16	चण्डा	"—"
17	डोकर	"—"
18	दाद	"—"
19	पिपालाई दुदा	"—"

भरावस्थलों की व्यवस्था :–

यदि अधिक वर्षा होती हैं एवं बाढ़ की स्थिति बनती हैं, तो बाढ़ से पीड़ित जनधन को सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु निम्नानुसार शिविर प्रस्तावित किये जाते हैं :–

- तहसील आनन्दपुरी भवन।
- समस्त ग्राम पंचायत भवन।

रसद व्यवस्था :–

जिला रसद अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर 16 क्विंटल गेहूं, 2 क्विंटल चावल एवं 100 लीटर केरोसीन की व्यवस्था आपात स्थिति में व्यवस्था हेतु आटा, दाल, सब्जी आदि उपलब्ध करा सकने वाली दुकानों की पहचान।

चिकित्सा व्यवस्था :–

चिकित्सा विभाग के चिकित्सालयों में दवाईयों तथा उपकरणों के साथ चिकित्सा दल तैयार रहेंगे ।

पशु चिकित्सालय व्यवस्था :–

तहसील क्षेत्र कुशलगढ़ के पशुपालन विभाग के चिकित्सा दल, दवाईयां तथा उपकरणों के साथ तैयार रहेंगे।

अन्य व्यवस्था :–

तहसीलदार अपना तहसील क्षेत्र होने के कारण आपदा सहायता से संबंधित आवश्यक व्यवस्थायें करायेंगे।

नाव तथा तैराकों की व्यवस्था :–

राजस संध एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा नावों तथा तैराकों की सूची मय एड्रेस व फोन नंबर उपलब्ध करावें।

नोड़ल अधिकारी :–

उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़/सज्जनगढ़ प्रभारी अधिकारी तहसीदार कुशलगढ़/सज्जनगढ़ क्षैत्र नोडल के अधिकारी रहेंगे।

अधिकारियों का दल :–

इस तहसील क्षेत्र में नोडल अधिकारी तहसीलदार कुशलगढ़/सज्जनगढ़ के साथ निम्न अधिकारीगण का दल आपदा को निपटने हेतु रहेंगा :–

- विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुशलगढ़/सज्जनगढ़।
- ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति कुशलगढ़/सज्जनगढ़।
- थाना अधिकारी, कुशलगढ़/पाटन/सज्जनगढ़।
- नायब तहसीलदार कुशलगढ़/सज्जनगढ़।
- सहायक अभियन्ता माही परि. कुशलगढ़/सज्जनगढ़।
- सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कुशलगढ़/सज्जनगढ़।
- सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 कुशलगढ़/सज्जनगढ़।
- सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि, कुशलगढ़/सज्जनगढ़।
- सहायक अभियन्ता जलदाय विभाग कुशलगढ़/सज्जनगढ़।
- चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशलगढ़/सज्जनगढ़।
- पशु चिकित्सा अधिकारी कुशलगढ़/सज्जनगढ़।
- प्रवर्तन निरीक्षक कुशलगढ़।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास उपलब्ध सामग्री :–

क्र.सं.	सा.नि.वि. के गेंगहट के नाम	रेत से भरी बारियां	खाली बोरियां	गेती	फावड़े	तगारे
1	सा.नि.वि. डाक बंगला, बांसवाड़ा	120	100	5	5	5
2	हवाई अड्डा, बांसवाड़ा	150	100	5	5	5
3	गेंगहट पीपलखूंट	50	150	2	2	5
4	गेंगहट छोटी सरवन	150	150	2	2	5
5	सा.नि.वि. खण्ड घाटोल	150	100	2	2	-
6	सा.नि.वि. खण्ड बागीदौरा	100	140	20	30	20
7	गेंगहट अनास	50	100	3	10	10
8	सा.नि.वि. खण्ड स्टोर, कुशलगढ़	200	150	20	30	20
9	सा.नि.वि. खण्ड स्टोर आनन्दपुरी	100	100	20	30	10
10	सा.नि.वि. खण्ड स्टोर, गढ़ी	200	150	20	20	20

11	सा.नि.वि. गेंगहट कोटडा	50	100	20	10	10

प्रत्येक जलाशय पर आवश्यकतानुसार उपकरण गेती, फावड़े, तगारे, रेत से भरी बोरियां, वाहन एवं अन्य सामग्री आवश्यक सामग्री रखी जावे।

राजस संद्य/मत्स्य विभाग द्वारा नावों एवं मछुआरों की व्यवस्था :-

नावों तथा मछुआरों की व्यवस्था सहायक निदेशक मत्स्य एवं क्षैत्रीय प्रबन्धक राजस संध से सम्पर्क कर किया जावें। सहायक निदेशक मत्स्य द्वारा बाढ़ आपदा से निपटने हेतु नावों एवं मछुआरों की व्यवस्था निम्नानुसार की गई हैं।

नावों की सूचना :-

क्र. सं.	नाव मालिक का नाम व पता	दूरभाष नं.	नावों की संख्या	नावें उपलब्ध होने का स्थान
1	श्री गेंदालाल/दौलतराम, निवासी उपला भोईवाडा बॉसवाडा	फोन नं. (02962) 244427 मो. 9414369452	06	बांध भगोरा बाँसवाडा
2	श्री अमर सिंह/बाबुलाल उपला भोईवाडा, बांसवाड़ा	मो. 9929435274	02	बांध आसन
3	श्री पुनम बाथम/बाबुलाल उपला भोईवाडा, बांसवाड़ा	मो. 9929435274	02	बांध लोधा

तैराकों की सूची :-

क्र. सं.	नाम तैराक	निवास स्थान	दूरभाष नम्बर
1	श्री गेन्दालाल/दौलतराम	उपला भोईवाड़ा, सूरजपोल बाँसवाड़ा	244427 9414369452
2	श्री अमरसिंह पिता बापुलाल	"_____"	9929435274
3	श्री राजेन्द्र पिता रामसिंह चौहान	माही डेम बांसवाड़ा	9001605101
4	श्री दिनेशचन्द्र हॉमगार्ड जवान	पनियाला त. बांसवाड़ा	9166636542
5	श्री उमाशंकर हॉमगार्ड जवान	सागवाडिया	9660097825
6	श्री सुनिल हॉमगार्ड जवान	खाटवाड़ा, बांसवाड़ा	9461995715
7	श्री नारायणलाल हॉमगार्ड जवान	बाबाबस्ती, बांसवाड़ा	9887338265
8	श्री कल्पेश हॉमगार्ड जवान	भागाकोट, बांसवाड़ा	9460022236
9	श्री रुपलाल हॉमगार्ड जवान	पडौली राठौड, त. घाटोल	8696803411
10	श्री सोनु हॉमगार्ड जवान	पडौली राठौड, त. घाटोल	9549133285
11	श्री कमजी हॉमगार्ड जवान	कुवाला त. घाटोल	9799296024
12	श्री गजेन्द्र हॉमगार्ड जवान	मु. हडमतिया त. बांसवाड़ा	8003399388
13	श्री लालचन्द्र हॉमगार्ड जवान	मु. हडमतिया त. बांसवाड़ा	9799968750

बाढ़ सहायता एवं चिकित्सा सुविधा हेतु कार्य योजना :-

जिला स्तर व खण्ड स्तर पर तथा ब्लॉक स्तर पर आपातकालीन सेवाओं के लिए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अपने कार्यालयों में कन्ट्रोल रूप स्थापित करेंगे। नियन्त्रण कक्ष में हमेशा चिकित्सा दल मय आवश्यक औषधियों सहित प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तैयार रहें। आवश्यकता पड़ने पर उक्त चिकित्सा दल प्रभावित क्षेत्रों में पहूंच कर बीमार रोगियों का उपचार करें। जिला कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 242783 है।

बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा से निपटने हेतु विशेष चिकित्सा व्यवस्था :-

प्रभावित क्षेत्रों में कुछ गांव अथवा धाणी बिलकुल अलग-थलग हो जाते हैं, इस दौरान क्षेत्र में पहूंचने के रास्ते भी बन्द हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में निपटने के लिए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हूए बाढ़ प्रभावित

क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थानों पर चिकित्सा दल का गठन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर भिजवायें। अतिवृष्टि के दौरान पेयजल के दुषित हो जाने की संभावना बढ़ जाती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में नियमित जलशुद्धिकरण करने हेतु ए.एन.एम., एमपीडब्ल्यु को पाबन्द किया जावें तथा जल शुद्धिकरण सामग्री ब्लिचिंग पाउडर का समुचित मात्रा में भण्डारण प्राथमिक तौर पर किया जावें। आवश्यकतानुसार अस्थाई डिस्पेन्सरी (केम्प) कायम किये जावें। आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों का भण्डारण मात्रा में रखा जावें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगियों के उपचार हेतु वार्ड में समुचित व्यवस्था की जावें। आपात स्थिति हेतु एमरजेंसी लाईट/पेट्रोमैक्स की व्यवस्था की जावें। सभी ब्लॉक रेफरल होस्पिटल को एसएसएन स्कीम के अन्तर्गत जनरेटर उपलब्ध कराये गये हैं। अति. ब्लॉक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आपात स्थिति के दौरान जिला स्तर या नजदीकी चिकित्सालय से उक्त व्यवस्था की जावें। चिकित्सा व्यवस्था पहूंचाने हेतु वाहनों को सुव्यवस्थित एवं चालू हालत में रखा जावें। यदि वाहन रिपेयर कराने हो तो तुरन्त ठीक कराये जावे। अतिवृष्टि एवं आपात स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारी/पेरा मेडिकल स्टॉफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया गया हैं। साथ ही इस दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में अवकाश जिला कलक्टर की अनुमति पर ही दिया जावेंगा।

रैपिड रेस्पोन्स टीम का गठन बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित गति से आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने, जल शुद्धिकरण, स्वास्थ्य शिक्षा देते हेतु रेस्पोन्स टीम का गठन निम्नानुसार किया जाकर कार्यालय को सूचित करें।

1. चिकित्सा अधिकारी:– 1, स्वास्थ्य निरीक्षक:– 1, मेल नर्स, ग्रेड–।।:– 1, एम.पी.डब्ल्यू :– 1, वाहन चालक :– 1 मय वाहन के

सतर्कता :–

उपरोक्त टीम अपने कीट एवं स्टॉक में ब्लीचिंग, ओआरएस एवं अन्य आवश्यक दवाईयों का भण्डार सुचारू रूप से रखें तथा पानी के नमूने लेने की व्यवस्था करें। सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनायास आपदाओं के सम्बन्ध में पुरी तरह सतर्क रहें तथा उनका यह भी प्रयास रहें कि इस दौरान ये अपना निरन्तर सम्पर्क विकास अधिकारी, तहसीदार, पीएचईडी के सहायक अभियन्ता विभाग के अधिकारियों से बनायें रखें।

जिले में विभिन्न वृहद सिंचाई एवं लधु सिंचाई स्त्रोतों में जल स्तर का विवरण :–

वर्तमान में जिलें में स्थित प्रमुख बांध व तालाबों की भराव क्षमता व जलस्तर का इस वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों का विवरण निम्नानुसार है :–

A

क्र0स0	नाम बांध	अधिकतम क्षमता पर जलस्तर	वर्ष के दौरान वास्तविक उच्चतम स्तर	अधिकतम भराव क्षमता (MCFT)
1	माही बांध	281.50 मीटर	273.75 मीटर	77000
2	हरो	21' 0"	20' 2"	421
3	सुरवानिया	15' 6"	12' 0"	465

B

क्र0 स0	नाम बांध/ तालाब	भराव क्षमता (उपयोगी) (एम.सी.एफ.टी.)	तालाब का फुल गेज (फीट–इन्च)
1	मकनपुरा	164	21' 0"
2	फुटन	67	12' 3"
3	भगोरा	90	11' 0"
4	देलवाड़ा	62	21' 0"